

**BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 680 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SHRI RAMAN

...APPLICANT

Versus

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response Affidavit on Behalf of the Respondent no. 3, Chairperson, TTZ Authority in compliance with the order dated 14.05.2025 in the captioned matter	1-5
2.	ANNEXURE-R3/1 A true copy of the Government Order No. 1426/55-परी-2-2017-09(वि)/2016 dated 25.01.2018	6-7
3.	ANNEXURE-R3/2 A true copy of the letter No. जा-पर्या-2-2019/09 (रिट)/2016 dated 11.04.2019	8
4.	ANNEXURE-R3/3 Copies of notices issued by the Respondent No. 3	9-77
5.	ANNEXURE-R3/4 Copies of the orders fixing responsibility upon departments and officers concerned	78-85

THROUGH

DATE: 17.09.2025

PLACE: NEW DELHI

801



STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.3,
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 680 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SHRI RAMAN

...APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.


...RESPONDENT(S)

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT
NO. 3, CHAIRPERSON, TTZ AUTHORITY IN COMPLIANCE
WITH THE ORDER DATED 14.05.2025 IN THE CAPTIONED
MATTER

I, Shailendra Kumar Singh S/o Shri Jitendra Singh, aged about 59 years, presently serving as Commissioner, Agra Division and Chairman, Taj Trapezium Zone Pollution (Prevention & Control) Authority, Agra, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:


1. That I am the Chairperson of Taj Trapezium Zone Authority Pollution (Prevention and Control) Authority in the captioned matter. I am well conversant with the facts and circumstances of the case and as such am competent to swear the present affidavit.
2. That the present O.A. relates to implementation of the Action Plan for Control of Air Pollution in Agra City, 2019.
3. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 14.05.2025 directed as follows:

"Respondent No. 3, Chairman, TTZ Authority, Agra is also directed to file his affidavit disclosing the action taken by him to ensure implementation of the action plan and in compliance with the




powers conferred upon him under the Environment (Protection) Act, 1986.”

4. That the State Government of Uttar Pradesh, Department of Environment, vide Government Order No. 1426/55-परि-2-2017-09(वि)/2016 dated 25.01.2018, has mandated the preparation and implementation of the *Comprehensive Action Plan for Reducing Air Pollution* in the identified non-attainment cities of the State, namely Agra, Varanasi, Kanpur, Lucknow and Moradabad, in compliance with the directions of the Central Pollution Control Board.
5. That under the aforesaid Government Order dated 25.01.2018, the concerned District Magistrates and implementing authorities were directed to ensure execution of short-term, medium-term and long-term measures envisaged under the said Action Plan, and to submit periodic *Action Taken Reports* to the competent authority. The G.O. dated 25.01.2018 further provides that regular review meetings at the district level be convened by the District Magistrates to monitor the status of implementation, and that the concerned line departments shall take all necessary steps for effective control of air pollution in conformity with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the binding directions of CPCB/UPPCB. A true copy of the Government Order No. 1426/55-परि-2-2017-09(वि)/2016 dated 25.01.2018 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/1**.
6. That vide letter No. जा-पर्या-2-2019/09 (रिट)/2016 dated 11.04.2019, issued by the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Environment Section-2, and addressed to various departments and authorities, directions have been issued for the effective implementation of the approved action plans for



controlling air pollution in the 15 identified non-attainment cities of Uttar Pradesh in compliance with the orders of the Hon'ble National Green Tribunal dated 08.10.2018 in O.A. No. 681/2018. A true copy of the letter No. जा-पर्या-2-2019/09 (रिट)/2016 dated 11.04.2019 is annexed herewith and marked as **Annexure R3/2**.

7. That the GRAP for the Agra has been classified under 4 different stages of adverse air quality in Agra viz. Stage – I 'Poor' (AQI 201 - 300), Stage - II 'Very Poor (AQI 301- 400), Stage - III 'Severe'(AQI 400-450) and Stage – IV 'Severe +' (AQI >450) respectively.
8. That the Action Plan for Control of Air Pollution in Agra City, 2019 to improve the air quality of the Agra City has been implemented and as a result the quality of air in the area is improving. At presently operating Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) at six designated locations within the city of Agra which are connected with the server of CPCB, for the purpose of monitoring and assessing ambient air quality parameters on a sustained basis. The said monitoring centres have been established at the following sites:
 - i. Shahjahan Garden, Agra
 - ii. Rohata, Gwalior Road, Agra
 - iii. Nagar Nigam Building, Sanjay Place, Agra
 - iv. Awas Vikas Colony, Agra
 - v. EPIP Industrial Area, Agra
 - vi. Manoharpur, Dayalbagh, Agra
9. That these monitoring stations are instrumental in generating real-time data pertaining to air quality indices, which serve as a critical input for regulatory oversight, environmental planning, and




implementation of pollution control measures within the Taj Trapezium Zone and adjoining areas.

10. That, based on the ambient air quality records available on the official portal (<https://airquality.cpcb.gov.in/AQI India/>) of the Central Pollution Control Board, the Uttar Pradesh Pollution Control Board has undertaken a comparative analysis of the air quality for different months and years. A table showing the AQI for the period from the year 2020 up to August, 2025 is given below, showing the improvement in the air quality over the years:

Month	Air Quality Index (AQI)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
January	222	285	184	88	121	93
February	186	214	124	55	72	78
March	100	190	142	58	71	92
April	94	190	143	70	70	110
May	94	87	121	73	79	92
June	99	97	93	76	61	76
July	81	72	38	55	38	45
August	76	68	42	79	31	58
September	139	51	53	74	42	-
October	258	156	107	108	95	-
November	296	302	117	143	141	-
December	306	218	107	106	78	-
Annual Avg.	163	154	106	82	75	-

11. That it is further submitted that in exercise of powers conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Respondent No. 3 has issued various directions and notices to the



concerned local bodies and statutory authorities, including but not limited to Nagar Nigams, Development Authorities, Uttar Pradesh Jal Nigam, Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC), the U.P. Pollution Control Board, and other agencies entrusted with environmental management and compliance, for the effective implementation of environmental safeguards within the territorial jurisdiction of Agra and its adjoining districts.

Copies of notices issued by the Respondent No. 3 are annexed herewith and marked as **Annexure R3/3 (colly)**.

- 12. That the Respondent No. 3 has duly fixed responsibility upon the respective departments and officers concerned, thereby ensuring accountability and coordinated execution of the prescribed environmental measures.


Copies of the orders fixing responsibility upon departments and officers concerned are annexed herewith and marked as **Annexure R3/4 (colly)**.

- 13. That the present response is submitted submitted before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and necessary consideration.


DEPONENT


VERIFICATION

Verified at AGRA on this 17th day of September, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.




DEPONENT

5/65/2025
Explained to Shri. Shailendra Kumar Singh
Read by presently posted as Commissioner
who understood the contents
solemnly affirmed & declare on
 oath on 17/9/2025
 At Agra
 identified by [Signature]



प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन,

Annexure - R3/1

सेवा में

जिलाधिकारी,
आगरा / वाराणसी / कानपुर / लखनऊ / मुरादाबाद।

पर्यावरण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक : 25 जनवरी, 2018

विषय : प्रदेश के प्रमुख शहरों आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के प्रमुख शहरों यथा आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद उ०प्र० में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Comprehensive Action Plan For Reducing Air Pollution तैयार किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। जनपद मुरादाबाद में वायु प्रदूषण के संबंध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-756/2017 नेचर्स वॉच रजि० सोल्ताइटी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में पारित आदेश दिनांक 24.11.2017 के अनुपालन में पूर्व में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक्शन प्लान पृथक् से तैयार कर जिलाधिकारी मुरादाबाद को बोर्ड के पत्रांक एच-13327 / सी-7 / ओ०ए० नं०-756/2017 दिनांक 11.12.2017 द्वारा प्रेषित किया गया जा चुका है।


उक्त काम्प्रेहेंसिव एक्शन प्लान फार रिड्यूसिंग एअर पॉल्यूशन में वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार आवश्यक एक्शन बिन्दुओं से संबंधित उत्तरदायी विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं को चिन्हित करते हुए की जाने वाली विभागवार कार्यवाही दी गयी है। प्रदूषण के स्तर के अनुसार एक्शन प्लान में दी गयी कार्यवाही सभी संबंधित विभागों द्वारा स्वतः प्रारम्भ कर दी जाएगी। संबंधित विभागों द्वारा वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार कार्यवाही स्वतः सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की रिपोर्ट सुगमतापूर्वक प्रस्तुत किए जाने हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक वेब पोर्टल www.upeccp.in तैयार किया गया है। उक्त वेब पोर्टल पर विभागवार निर्धारित Action Taken Report अंकित किए जाने हेतु पांचों जनपदों के जिलाधिकारियों को यूजर आई०डी० एवं पासवर्ड जारी किए जा रहे हैं। इस कार्य हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जिसके द्वारा Action Taken की सूचना वेब पोर्टल पर जिलाधिकारी के निर्देशन में प्राप्त करते हुए अंकित की जाएगी। प्रदूषण का स्तर Severe श्रेणी के रहने तक पोर्टल पर प्रति सप्ताह कृत कार्यवाही की सूचना अंकित की जानी होगी तथा Severe श्रेणी होने पर प्रतिदिन कार्यवाही की सूचना अंकित की जानी

होगी। जिले में इस एक्शन प्लान का क्रियान्वयन संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

प्रदूषण के विभिन्न स्तरों के संबंध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त वेब पोर्टल www.upeccp.in के माध्यम से सूचना संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रदूषण के स्तर की सूचना उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (www.upeccp.in) एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (cpch.nic.in) की वेब साइटों पर भी उपलब्ध रहेगी। जिले स्तर पर उक्त सूचना संबंधित विभागों को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित जिलाधिकारी का होगा। इस संबंध में जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में बैठक का आयोजन कर प्रदूषण के स्तर की सूचना स्वतः मॉनीटर करने हेतु संबंधित विभागों को अवगत करायेंगे।


2- उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत संलग्न काम्प्रेहेंसिव एक्शन प्लान में प्रदूषण के स्तर के अनुसार निर्धारित कार्यवाही का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

 (राजीव कुमार)
 मुख्य सचिव।

संख्या- /55-पर्या-2-2017-09(रिट)/2018 तददिनांक

प्रतिपि सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

 (निहालुद्दीन खो)
 संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या: NPT-130/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2016
लखनऊ: दिनांक: 11 अप्रैल, 2019

A-5
11/5/19

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
गृह/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/सिंचाई/खाद्य एवं
रसद/उद्योग/उद्यान/परिवहन/लोक निर्माण/कृषि/वन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा उ0प्र0 के 15 चिन्हित नॉन अटेन्मेंट शहर यथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा, फिरोजाबाद, अनपरा, गजरौला, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या- 681/2018 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 के अनुपालन में पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा 06 सदस्यीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गयी। उक्त कमेटी द्वारा इन शहरों की वायु गुणता में सुधार हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा अनुमोदित करते हुए वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत राज्य सरकार को उक्त कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये हैं।

2- अतः प्रश्नगत कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इन कार्ययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित शार्ट टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं को जिला स्तर से तत्काल क्रियान्वित कराने हेतु अपने संबंधित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
2. कार्ययोजनाओं में उल्लिखित लॉग टर्म कार्यवाही के बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु यथाआवश्यकता डी0पी0आर0 तैयार कराकर एवं बजट व्यवस्था सुनिश्चित कर कार्ययोजना के बिन्दुओं को समयान्तर्गत लागू कराना सुनिश्चित किया जाये।
3. विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा इसकी सूचना प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

यह भी अनुरोध है कि वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत प्रश्नगत कार्ययोजनाओं में उल्लिखित कार्यवाही बिन्दुओं का निर्धारित समयान्तर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

(डॉ० अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या: NPT-130(1)/55-पर्या-2-2019/09(रिट)/2016 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, सोनभद्र, अमरोहा, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली एवं बरेली।
सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

आज्ञा से

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किये गये नोटिसों की सूची-

क्र.	पदनाम व विभाग का नाम	नोटिस सं० व दिनांक
1.	नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद।	सं०-229 दि०-09.11.17
2.	नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा।	सं०-230 दि०-09.11.17
3.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-231 दि०-09.11.17
4.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-263 दि०-06.12.17
5.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-303 दि०-28.12.17
6.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-28 दि०-18.01.18
7.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-93 दि०-05.03.18
8.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-147 दि०-09.04.18
9.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-221 दि०-14.05.18
10.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-222 दि०-14.05.18
11.	नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा।	सं०-223 दि०-14.05.18
12.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, हाथरस।	सं०-224 दि०-14.05.18
13.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, एटा।	सं०-225 दि०-14.05.18
14.	नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद।	सं०-226 दि०-14.05.18
15.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-263 दि०-29.05.18
16.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-376 दि०-07.07.18
17.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-627 दि०-20.11.18
18.	नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा।	सं०-649 दि०-27.11.18
19.	नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद।	सं०-181 दि०-06.05.19
20.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-205 दि०-25.05.19
21.	नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।	सं०-421 दि०-19.11.19
22.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।	सं०-226 दि०-09.11.17
23.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद एवं आगरा।	सं०-29 दि०-18.01.18
24.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद एवं आगरा।	सं०-109 दि०-19.03.18
25.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद एवं आगरा।	सं०-150 दि०-13.04.18
26.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद एवं आगरा।	सं०-220 दि०-14.05.18
27.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद एवं आगरा।	सं०-375 दि०-07.07.18
28.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद एवं आगरा।	सं०-592 दि०-02.11.18
29.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, फरीदाबाद एवं आगरा।	सं०-717 दि०-27.12.18
30.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा।	सं०-80 दि०-12.03.18
31.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा।	सं०-715 दि०-27.12.18
32.	मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद्, आगरा।	सं०-262 दि०-06.12.17
33.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद्, आगरा।	सं०-94 दि०-05.03.18
34.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद्, आगरा।	सं०-151 दि०-13.04.18
35.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद्, आगरा।	सं०-227 दि०-14.05.18
36.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद्, मथुरा।	सं०-228 दि०-14.05.18
37.	महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा।	सं०-264 दि०-29.05.18
38.	नगर आयुक्त, नगर निगम एवं मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।	सं०-99 दि०-19.03.20
39.	अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, आगरा।	सं०-206 दि०-25.05.19
40.	मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।	सं०-227 दि०-09.11.17
41.	परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम लि०, आगरा।	सं०-225 दि०-09.11.17
42.	संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा सम्भाग, आगरा।	सं०-260 दि०-06.12.17
43.	संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा सम्भाग, आगरा।	सं०-230 दि०-14.05.18
44.	संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा सम्भाग, आगरा।	सं०-265 दि०-29.05.18
45.	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।	सं०-228 दि०-09.11.17

क्र.	पदनाम व विभाग का नाम	नोटिस सं० व दिनांक
46.	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।	सं०-308 दि०-31.12.17
47.	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।	सं०-110 दि०-19.03.18
48.	अधीक्षण पुरातत्वविद्, भा०पुरा०सर्वे० एवं प्रभागीय निदेशक, सा०वा०प्र०, आगरा।	सं०-304 दि०-28.12.17
49.	प्रधानाचार्य, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज, आगरा।	सं०-207 दि०-25.05.19
50.	अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस एवं एटा।	सं०-127 दि०-19.03.19
51.	उप-निदेशक, कृषि, आगरा।	सं०-261 दि०-06.12.17
52.	उप-परिवहन आयुक्त, आगरा, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा, क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, भरतपुर(राज०) एवं संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।	सं०-390 दि०-17.07.18
53.	जिलाधिकारी, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़(उ०प्र०) एवं भरतपुर(राज०)/पुलिस अधीक्षक, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़(उ०प्र०) एवं भरतपुर(राज०)।	सं०-391 दि०-17.07.18
54.	क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।	सं०-256 दि०-06.12.17
55.	क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।	सं०-257 दि०-06.12.17
56.	क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद।	सं०-258 दि०-06.12.17
57.	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर(राज०)।	सं०-259 दि०-06.12.17
58.	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर(राज०)।	सं०-309 दि०-31.12.17
59.	मै०आर०पी०इन्फ्रावेंचर प्रा०लि०, ब्लॉक-ए, बुलन्द सिटी, आपो०रमादा पैलेस, आगरा।	सं०-264 दि०-06.12.17
60.	श्री मुकेश चन्द, मै०प्राची इन्फ्रा स्टेट प्रा०लि०, शास्त्रीपुरम्, आगरा।	सं०-203 दि०-25.05.19
61.	श्री सौरभ अग्रवाल, मै०राजनन्दा हाउसिंग प्रा०लि०, शास्त्रीपुरम्, आगरा।	सं०-204 दि०-25.05.19
62.	टी०टी०जैड० प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त।	56वीं बैठक दि०-25.04.22 63वीं बैठक दि०-24.02.25

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 229 /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 09 / 11 / 2017

नगर आयुक्त,
नगर निगम, फिरोजाबाद

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में पर्यावरणीय सुधार एवं विश्व धरोहर ताजमहल के संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि टी०टी०जेड० प्राधिकरण द्वारा नगर में कूड़ा जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश नगर निगम को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि प्रायः देखने में आया है कि नगर में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

विदित हो कि नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाये जाने से रोकने का पूर्णतः उत्तरदायित्व आगरा नगर निगम का है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट न जलाने पाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०राममोहस/राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जेड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जेड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 230 /TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/17

दिनांक: 09 /11/2017

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मथुरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं विश्व धरोहर ताजमहल के संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।


यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा नगर में कूड़ा जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश नगर निगम को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि प्रायः देखने में आया है कि नगर में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मा0सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।


विदित हो कि नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाये जाने से रोकने का पूर्णतः उत्तरदायित्व आगरा नगर निगम का है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद मथुरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट न जलने पाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा।


(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।


मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या 23) /TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/17

दिनांक: 09 /11/2017

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं विश्व धरोहर ताजमहल के संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा आगरा नगर में कूड़ा जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश आगरा नगर निगम को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि प्रायः देखने में आया है कि नगर में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

विदित हो कि नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाये जाने से रोकने का पूर्णतः उत्तरदायित्व आगरा नगर निगम का है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट न जलने पाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 263 /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 06 /11/2017

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।


विषय—जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निगमन।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

आगरा नगर निगम का उत्तरदायित्व है कि किसी भी दशा में शहर में कोई कूड़ा न जलाये, कण्डा/उपला न जलाये, पॉलीथिन का प्रयोग न हो, ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से हो लेकिन दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के दिनांक 17.11.17 एवं 21.11.17, के संस्करण में शहर में कतिपय स्थलों पर कूड़ा जलाये जाने का फोटोयुक्त समाचार प्रकाशित हुआ है, जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आगरा नगर निगम द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भलीभाँति नहीं किया जा रहा है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।


 (कै०राममोहन राव)
 मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
 टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 303 /TZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 28/12/2017

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट/कण्डा/टायर/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनिथन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

आगरा नगर निगम का उत्तरदायित्व है कि किसी भी दशा में शहर में कोई कूड़ा न जलाये, कण्डा/उपला, टायर/चमड़े की कतरनें न जलाये, पॉलीथिन का प्रयोग न करे, ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से हो लेकिन दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के दिनांक 16.11.2017 के संस्करण में शहर में कतिपय स्थलों पर टायर तथा चमड़े की कतरनें जलाये जाने का फोटोयुक्त समाचार प्रकाशित हुआ है तथा "हिन्दुस्तान टाइम्स" के दिनांक 16.11.17 के अंक में ताजमहल के समीप यमुना नदी के किनारे कूड़े के ढेर की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। उक्त से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आगरा नगर निगम द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भलीभांति नहीं किया जा रहा है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलाने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत करायी जाये।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 28 / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 18 / 01 / 2018

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट/कण्डा/टायर/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

आगरा नगर निगम का उत्तरदायित्व है कि किसी भी दशा में शहर में कोई कूड़ा न जलाये, कण्डा/उपला, टायर/चमड़े की कतरनें न जलाये, पॉलीथिन का प्रयोग न करे, ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से हो लेकिन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के दिनांक 31.12.2017 तथा दिनांक 01.01.2018 के संस्करण में शहर में तहसील सदर परिसर के निकट तथा सिकन्दरा के समीप औद्योगिक क्षेत्र में कूड़ा जलाये जाने का फोटोयुक्त समाचार प्रकाशित हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत समय-समय पर नोटिस जारी किये गये हैं किन्तु उक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आगरा नगर निगम द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भलीभाँति नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(के० राममोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जेंड०प्रा०, आगरा।

१/८

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 93/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 05/03/2018

नगरायुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय टोस अपशिष्ट जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (नियारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

नगर निगम का यह उत्तरदायित्व है कि किसी भी दशा में आगरा शहर में कोई कूड़ा न जलाये, कण्डा/उपला, टायर/चमड़े की कतरनें न जलाये, पॉलीथिन का प्रयोग न करे, ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से हो लेकिन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के दि० 01.02.2018 के संस्करण में शहर में एम0जी0रोड पर जूते की कतरन जलाये जाने का फोटोयुक्त समाचार प्रकाशित हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत समय-समय पर नोटिस जारी किये गये हैं किन्तु उक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आगरा नगर निगम द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भलीभाँति नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा शहर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय टोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलाने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

१८

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 147/TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 09 / 04 / 2018

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट/कण्डा/टायर/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

आगरा नगर निगम का उत्तरदायित्व है कि किसी भी दशा में शहर में कोई कूड़ा न जलाये, कण्डा/उपला, टायर/चमड़े की कतरनें न जलाये, पॉलीथिन का प्रयोग न करे, ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से हो लेकिन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के दिनांक 12.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) के संस्करण में ताजमहल के नजदीक वन विभाग कार्यालय परिसर में कूड़े के ढेर में आग लगने एवं धुआ उठने का फोटोयुक्त समाचार प्रकाशित हुआ है जबकि पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत समय-समय पर नोटिस जारी किये गये हैं किन्तु उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आगरा नगर निगम द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भलीभाँति नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

(के०रोममोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जै०ड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,

टी०टी०जै०ड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 221/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 14/05/2018

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट/कण्डा/टायर/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा10सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

आगरा नगर निगम का उत्तरदायित्व है कि किसी भी दशा में शहर में कोई कूड़ा न जलाये, कण्डा/उपला, टायर/चमड़े की कतरनें न जलाये, पॉलीथिन का प्रयोग न करे, ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से हो लेकिन दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के दिनांक 24.04.2018 के संस्करण में शहर में कोठी मीना बाजार मैदान में चमड़े की कतरनें जलाये जाने का फोटोयुक्त समाचार प्रकाशित हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत समय-समय पर नोटिस जारी किये गये हैं किन्तु उक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आगरा नगर निगम द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भलीभाँति नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किरसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

(के०रामगोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 222/TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 14/05/2018

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय टोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा आगरा नगर में नगरीय टोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश समय-समय पर आगरा नगर निगम को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ वण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से प्रायः देखने में आया है कि नगर में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय टोस अपशिष्ट, चमड़े की कतरनें, कण्डा, टायर, आदि जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा शहर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय टोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०रा०म०इन०राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: २२३ / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 14 / 05 / 2018

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मथुरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद मथुरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा मथुरा नगर में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश समय-समय पर नगर निगम को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित न्यूज आर्टिकल के माध्यम से प्रायः देखने में आया है कि नगर में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट, चमड़े की कतरने, कण्डा, टायर, आदि जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद मथुरा शहर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 224 / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 14/05/2018

अधिषासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
हाथरस (उत्तर प्रदेश)।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनिथन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा हाथरस नगर में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश समय-समय पर नगर पालिका परिषद को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमिन्ना एच०पटेल बनाम यूनिथन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से प्रायः देखने में आया है कि नगर में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट, चमड़े की कतरने, कण्डा, टायर, आदि जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद हाथरस में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०राधवीरन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 2.25/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 14/05/2018

अधिषासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
एटा (उत्तर प्रदेश)।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद एटा में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।


यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा एटा नगर में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश समय-समय पर नगर पालिका परिषद को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।


यह कि समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से प्रायः देखने में आया है कि नगर में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट, चमड़े की कतरने, कण्डा, टायर, आदि जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद एटा में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।


(के०र०मिश्रा) राव
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।


मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 226 / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 14 / 05 / 2018

नगर आयुक्त,
नगर निगम, फिरोजाबाद

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा फिरोजाबाद नगर में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश समय-समय पर नगर निगम को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड दसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से प्रायः देखने में आया है कि नगर में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट, चमड़े की कतरने, कण्डा, टायर, आदि जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद शहर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०रा०मोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 263 /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 29 / 05 / 2018

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट/कण्डा/टायर/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

आगरा नगर निगम का उत्तरदायित्व है कि किसी भी दशा में शहर में कोई कूड़ा न जलाये, कण्डा/उपला, टायर/चमड़े की कतरनें न जलाये, पॉलीथिन का प्रयोग न करे, ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से हो लेकिन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के दिनांक 09.05.2018 के संस्करण में "उपले सुलग रहे, भट्टियां धधक रहीं, अफसर जिम्मेदारी टाल रहे" नाम से फोटोयुक्त समाचार प्रकाशित हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत समय-समय पर कई नोटिस जारी किये गये हैं किन्तु उक्त समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आगरा नगर निगम द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भलीभांति नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलाने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(के०रामभद्र राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 326 / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 07/07/2018

**नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।****विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट/कण्डा/टायर/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।**


आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

आगरा नगर निगम का उत्तरदायित्व है कि किसी भी दशा में शहर में कोई कूड़ा न जलाये, कण्डा/उपला, टायर/चमड़े की कतरनें न जलाये, पॉलीथिन का प्रयोग न करे, ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से हो लेकिन दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के दिनांक 08.06.2018 के अंक में सिफन्दरा थाने के पास हाईवे पर कूड़ा जलाने तथा "अमर उजाला" के दिनांक 20.06.2018 के संस्करण में कैण्ट स्टेशन के पास कूड़ा जलाये जाने एवं "दैनिक जागरण" के अंक दिनांक 09.05.2018 में शाहगंज रेलवे फाटक के पास कूड़े में लगी आग से उठता धुंआ का फोटोयुक्त समाचार प्रकाशित हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत समय-समय पर नोटिस जारी किये गये हैं तथा नोटिसों के अतिरिक्त टी०टी०जैड० से सम्बन्धित समय-समय पर आहूत विभिन्न बैठकों में भी यह कड़े निर्देश दिये गये हैं कि नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलाने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये किन्तु उक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अवलोफन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आगरा नगर निगम द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भलीभाँति नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।


अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलाने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।


(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०, आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।


मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०, आगरा।

ole

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 627 / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 20 / 11 / 2018

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में सफाई व्यवस्था, नगरीय ठोस अपशिष्ट/कण्डा/टायर/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

अवगत कराना है कि प्रदत्त निर्देशानुक्रम में श्री वाई.बी.शर्मा, सहायक अभियंता, टी०टी०जैड० प्राधिकरण, आगरा द्वारा दिनांक 05.11.2018 को बोदला चौराहा से बिचपुरी मार्ग, जो कि बिचपुरी होकर फतेहपुर सीकरी एवं जयपुर को जाता है, का निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण आख्या (छायाप्रति संलग्न) प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार इस मार्ग के किनारे काफी कूड़ा फैला पड़ा है तथा कूड़े से दुर्गन्ध आ रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग है, जिसका उपयोग जनसामान्य के साथ-साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों द्वारा आवागमन हेतु उपयोग किया जाता है। मार्ग के किनारे कूड़ा पड़ा होने से पर्यटकों के समक्ष शहर की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा यह स्थिति पर्यावरणीय सुधार के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत पूर्व में भी समय-समय पर आपको इस आशय के नोटिस जारी किये गये हैं कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये किन्तु सहायक अभियंता (टी.टी.जैड.) द्वारा प्रस्तुत उक्त निरीक्षण आख्या के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आगरा नगर निगम द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भलीभाँति नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण आख्या में संलग्न फोटो के अनुसार बोदला चौराहा से बिचपुरी मार्ग के किनारे पड़े हुये कूड़े को तत्काल साफ कराया जाये। इसके साथ ही ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

(अनिल कुमार)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,

टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,

टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 649 / ITZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 27/11/2018

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मथुरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में सफाई व्यवस्था, नगरीय ठोस अपशिष्ट/कण्डा/टायर/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया ५ अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

अवगत कराना है कि प्रदत्त निर्देशानुक्रम में श्री वाई.वी.शर्मा, सहायक अभियंता, टी0टी0जैड0प्राधिकरण, आगरा द्वारा दिनांक 16.11.2018 को मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (गोवर्धन पैलेस होटल) से धोली प्याऊ मार्ग एवं उसके समीप स्थित चन्द्रपुरी आवासीय कालोनी, जो कि मथुरा-वृंदावन नगर निगम के अन्तर्गत पड़ती है, की निरीक्षण आख्या मय फोटोग्राफ्स (छायाप्रति संलग्न) प्रस्तुत की गयी है। निरीक्षण फोटोग्राफ्स के अवलोकन से प्रतीत होता है कि नगर निगम, मथुरा द्वारा अपने दायित्वों का भलीभाँति निर्वहन नहीं किया जा रहा है जबकि मथुरा एक पर्यटन नगरी है, जहाँ पर्यटक अत्यधिक संख्या में दर्शनीय स्थल हेतु भ्रमण करते हैं। ऐसी स्थिति में पर्यटकों के समक्ष शहर की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा यह स्थिति पर्यावरणीय सुधार के दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत पूर्व में आपको इस आशय के नोटिस जारी किये गये हैं कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण आख्या में संलग्न फोटो के अनुसार प्रश्नगत स्थल को तत्काल साफ कराया जाये। इसके साथ ही ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद मथुरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

(अनिल कुमार)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०, आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०, आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 181 / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 19

दिनांक: 06 / 05 / 2019

नगर आयुक्त,
नगर निगम, फिरोजाबाद

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा आपको प्रेषित संदर्भ सं० 23/सा०-30/19 दिनांक 10.04.2019 का संदर्भ लें, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नेशनल हाईवे एन०एच०-2, राजा का ताल क्षेत्र में बल्क में विगत कई दिनों से जल रहे कूड़ा-करकट, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट भी काफी मात्रा में कूड़ा-करकट के साथ जलने का उल्लेख किया गया है, को यथाशीघ्र बुझवाने का अनुरोध आपसे किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है। टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा नगर में कूड़ा जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत सर्वसम्बन्धित नगर निगमों को जारी किये गये हैं।

यह भी अवगत होगें कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बनिंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि प्रायः देखने में आया है कि नगर में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है जबकि नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाये जाने से रोकने का पूर्णतः उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निगम का है। पूर्व में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत आपको दिनांक 09.11.17 व 14.05.18 को नोटिस जारी किये गये हैं कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये किन्तु क्षेत्रीय अधिकारी के संदर्भित पत्र के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आप द्वारा जनपद फिरोजाबाद में कूड़े को जलाये जाने से रोकने हेतु कोई ठोस कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट न जलने पाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। कृत अनुपालनीय कार्यवाही से एक तीन दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

(अनिल कुमार)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को सूचनार्थ।

o/c
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
संख्या: 205/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/19

दिनांक: 25/05/2019

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में सफाई व्यवस्था, नगरीय ठोस अपशिष्ट/कण्डा/टायर/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

अवगत कराना है कि प्रदत्त निर्देशानुक्रम में टी०टी०ए०ड०प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.05.2019 को शास्त्रीपुरम् एवं राजामण्डी रेलवे स्टेशन के पास का निरीक्षण किया गया तथा फोटोयुक्त निरीक्षण आख्या (प्रत्यक्ष संलग्न) प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार शास्त्रीपुरम् आवासीय योजना में जगह-जगह कूड़े के ढेर पाये गये हैं, जिससे दुर्गन्ध आ रही है। साथ ही निरीक्षण के दौरान राजामण्डी रेलवे स्टेशन के समीप कूड़ा भी जलता पाया गया है।

उल्लेखनीय है कि आजकल समाचार पत्रों में भी शहर में जगह-जगह कूड़ा जलाये जाने की खबरें लगातार प्रकाशित हो रही हैं। उक्त निरीक्षण आख्या तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आगरा नगर निगम द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भलीभाँति नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत पूर्व में भी समय-समय पर आपको इस आशय के नोटिस जारी किये गये हैं कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण आख्या के अनुसार राजामण्डी रेलवे स्टेशन के समीप तथा शास्त्रीपुरम् योजना में जगह-जगह पड़े हुये कूड़े को तत्काल साफ कराया जाये। इसके साथ ही ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

(अनिल कुमार)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०ए०ड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०ए०ड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 421/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/19

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

दिनांक: 19/11/2019

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत शहर में सफाई व्यवस्था, नगरीय ठोस अपशिष्ट/कण्डा/टायर/कोल/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताजमहल के संरक्षण के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सि०) सं० 13381/1984-एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

अवगत होगें कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा नगर में कूड़ा, कण्डा, उपला, कृषि अपशिष्ट, कोल, टायर/चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत सर्वसम्बन्धित नगर निगमों को जारी किये गये हैं। साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नगर निगम आगरा को समय-समय पर नोटिस भी जारी किये गये हैं। मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। प्रतीत होता है कि नगर निगम आगरा द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है।

आगरा नगर निगम का उत्तरदायित्व है कि शहर की सफाई व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुदृढ़ रहे, साथ ही शहर में कोई कूड़ा, कण्डा, उपला, कृषि अपशिष्ट, कोल, टायर/चमड़े की कतरनें न जलायी जायें, पॉलीथीन का प्रयोग न हो, ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से हो किन्तु प्रदत्त निर्देशानुक्रम में श्री एम०सी० गंगवार, उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) एवं श्री नवीन चतुर्वेदी, उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या), आगरा द्वारा दिनांक 26.10.2019 को नगर निगम सीमान्तर्गत ताजमहल क्षेत्र की सफाई व्यवस्था के निरीक्षणोंपरान्त जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, वह संतोषजनक नहीं है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 26.10.2019 के दृष्टिगत ताजमहल के आसपास समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा नगर में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में कूड़ा, कण्डा, उपला, कृषि अपशिष्ट, कोल, टायर/चमड़े की कतरनें न जलने पाये, पॉलीथीन का प्रयोग न हो अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। कृत अनुपालनीय कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र अवगत करायें।

संलग्नक-यथोपरि।

(अनिल कुमार)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड० प्रा०, आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड० प्रा०, आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 226 / TIZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 09 / 11 / 2017

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं विश्व धरोहर ताजमहल के संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रायः परिलक्षित हुआ है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र विशेषकर जनपद आगरा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की जाती हैं, जिससे धूल के कण वायुमण्डल में फैल जाते हैं तथा पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि होती है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं विशेषकर जनपद आगरा नगर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०राममोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 29/ITZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 18/01/2018

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
फरीदाबाद/आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उनके चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायें ताकि धूल के कण वायुमण्डल में न फैल सकें।

उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस भी जारी किये गये हैं किन्तु दिनांक 04.01.2018 को शहर के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में प्रकाशित फोटोयुक्त समाचार के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि सिकन्दरा हाईवे पर सिक्स लेन हेतु खुदाई के दौरान स्थल पर उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में फैलने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित नहीं की जा रही हैं, जिसके कारण पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि हो रही है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र जनपद आगरा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायी जायें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(क०रा०मोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 100/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 13/03/2018

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
फरीदाबाद/आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

विदित है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत एन0एच0-2 स्थित सिकन्दरा से आगे सर्विस रोड के निर्माण कार्य हेतु खुदाई कराकर छोड़ दी गयी है, जिससे स्थल पर धूल के कण उड़कर वायुमण्डल में फैल रहे हैं तथा पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि हो रही है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उनके चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायी जायें ताकि धूल के कण वायुमण्डल में न फैल सकें।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुये निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायी जाये लेकिन आपके द्वारा उक्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र जनपद आगरा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(के०रामगोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 150/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 13/04/2018

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
फरीदाबाद/आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उनके चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें ताकि धूल के कण वायुमण्डल में न फैल सकें।

उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस भी जारी किये गये हैं किन्तु दिनांक 01.03.2018 को शहर के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित फोटोयुक्त न्यूज आर्टिकल "हाईवे की धूल से विगड़ी आबोहवा" के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि जनपद आगरा स्थित सुल्तानगंज की पुलिया के पास सर्विस रोड के निर्माण के दौरान स्थल पर उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में फैलने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की जा रही हैं, जिसके कारण पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि हो रही है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र जनपद आगरा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के चौड़ीकरण एवं सर्विस रोड के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर तत्काल आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सर्विस रोड के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(के०राग०मोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शारान, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 220/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 14/05/2018

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
फरीदाबाद/आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उनके चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायें ताकि धूल के कण वायुमण्डल में न फैल सकें।

उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस भी जारी किये गये हैं किन्तु दिनांक 30.03.2018 को शहर के लोकप्रिय समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में प्रकाशित 'सिक्सलेन हाईवे का निर्माण आ गई परेशानियों की बाढ़' तथा दिनांक 07.05.2018 को 'अनियोजित विकास बढ़ा रहा प्रदूषण' के नाम से प्रकाशित फोटोयुक्त समाचार के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि सिक्सलेन हाईवे पर सिक्स लेन के चौड़ीकरण के दौरान स्थल पर उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में फैलने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थल पर यथावश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित नहीं की जा रही हैं, जिसके कारण पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि हो रही है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र जनपद आगरा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 375/ITZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 07/07/2018

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
फरीदाबाद/आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण/निर्माण कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उनके चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें ताकि धूल के कण वायुमण्डल में न फैल सकें।

उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस भी जारी किये गये हैं। धारा-5 के अन्तर्गत आपको जारी नोटिसों के अतिरिक्त टी0टी0जैड0 से सम्बन्धित समय-समय पर आहूत बैठकों में भी एन0एच0ए0आई0 को यह कड़े निर्देश दिये गये हैं कि सिक्स लेन के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें किन्तु दिनांक 05.06.2018 को शहर के लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला काम्पैक्ट" में प्रकाशित फोटोयुक्त समाचार के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि सिक्स-लेन हाईवे पर सिक्स लेन के चौड़ीकरण/निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में फैलने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की जा रही हैं, जिसके कारण धूल के कण वायुमण्डल में फैलकर पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि कर रहे हैं। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र जनपद आगरा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर तत्काल आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

(क०राममोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 592 /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 02 / 11 / 2018

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
फरीदाबाद/आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोके जाने के लिए समुचित उपाय/व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा वृत्त, आगरा के पत्र सं० 4000/37सी०-आ०वृ०/2018 दिनांक 26.10.2018 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 की निरीक्षण आख्या मय फोटोग्राफ्स उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर बहुत ही दयनीय स्थिति परिलक्षित हो रही है। जगह-जगह मिट्टी के ढेर लगे हुये हैं, चौड़ीकरण के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से उड़ रही धूल से पार्टिकुलेट मैटर में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसके सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्रों में भी न्यूज आर्टिकल्स भी आये दिन प्रकाशित हो रहे हैं। प्रभारी अधिकारी, परियोजना कार्यालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के पत्रांक-परि०का०आ०/प्रशा०/टी०टी०जैड० /36-04/314-1317 दिनांक 01.11.2018 द्वारा भी सिकन्दरा से टूण्डला राष्ट्रीय राजमार्ग/फलाई ओवर पर निर्माण कार्य के दौरान धूल उड़ती पाये जाने एवं समुचित उपाय न किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु अधीक्षण अभियंता, लो०नि०वि० (आ०वृ०), आगरा एवं प्रभारी अधिकारी, परियोजना कार्यालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के संदर्भित पत्रों की छायाप्रतियां संलग्न हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उनके चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जायें ताकि धूल के कण वायुमण्डल में न फैल सकें। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत समय-समय पर नोटिस भी जारी किये गये हैं किन्तु उक्त निरीक्षण आख्या के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि सिक्स लेन हेतु स्थल पर किये जा रहे निर्माण कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में फैलने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवश्यक उपाय/व्यवस्थाएँ सुनिश्चित नहीं की जा रही हैं, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

.....2

-2-

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण आख्यानानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के चौड़ीकरण के निर्माण कार्य के समय धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाईडलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैंडलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल के अनुसार स्थल पर तत्काल आवश्यक उपाय/व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें। इसके साथ ही सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित किये जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक उपाय/व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक-यथोपरि।

(अनिल कुमार)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,

टी०टी०जेड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,

टी०टी०जेड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 217 /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 27 /12/2018

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
आगरा/फरीदाबाद।

विषय- राजस्थान के भरतपुर एवं धौलपुर से ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में आने-जाने वाले वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग करने से रोड क्षतिग्रस्त होने व रोड से धूल उड़ने से पार्टिकुलेट मैटर में हो रही वृद्धि के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने विषयक।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस तथा राजस्थान का जनपद भरतपुर संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं। समस्त विभागों का यह उत्तरदायित्व है कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में कोई भी प्रदूषणकारी गतिविधियाँ न होने पायें।

यह कि दिनांक 06.12.2018 को आहूत "ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण" की 45वीं बैठक में चर्चा के दौरान यह संज्ञान में लाया गया कि जनपद भरतपुर(राज0) एवं धौलपुर(राज0) में स्थापित/संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों से खनन करके पत्थर वाहनों द्वारा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित आगरा की ओर लाये जाते हैं। इन वाहनों द्वारा अत्यधिक मात्रा में ओवरलोडिंग की जा रही है, जिसके कारण रोड क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तथा क्षतिग्रस्त रोड से धूल उड़ने के कारण पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि हो रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्देशित किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित/संचालित टोल पर ऐसे वाहनों को चैक कर यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपद भरतपुर (राज0) एवं धौलपुर(राज0) से आने वाले वाहनों द्वारा किसी भी दशा में ओवरलोडिंग न की जाये। ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत अधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०आगरा।

Email

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या १० / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 20

दिनांक: 12 / 03 / 2020

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
आगरा।

विषय- ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोके जाने के लिए समुचित उपाय/व्यवस्था सुनिश्चित न किये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण के सहायक अभियंता श्री विजय कुमार सिंह एवं श्री वाई०बी० शर्मा द्वारा दिनांक 27.02.2020 को आगरा-सिकन्दरा-सब्जी मण्डी से कुबेरपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मय फोटोग्राफ्स पत्रांक-72/निरीक्षण ए०ई० टी०टी०जैड०/20 दिनांक 28.02.2020 द्वारा टी०टी०जैड० प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29.02.2020 में प्रस्तुत की गयी। उक्त बैठक में एन०एच०ए०आई० के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-2 पर बहुत ही दयनीय स्थिति परिलक्षित हो रही है। डिवाइडर पर जगह-जगह मिट्टी एवं गिट्टी के ढेर लगे हुये हैं तथा पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान धूल को उड़ने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई समुचित उपाय नहीं किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-2 से उड़ रही धूल से पार्टिकुलेट मैटर में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसके सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्रों में भी न्यूज आर्टिकल्स भी आये दिन प्रकाशित हो रहे हैं। साथ ही सिकन्दरा सब्जी मण्डी के सामने निर्माणाधीन फ्लाई ओवर पर आवागमन चालू नहीं है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त निरीक्षण आख्या की छायाप्रति संलग्न है।

यह है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं उनके चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें ताकि धूल के कण वायुमण्डल में फैलकर पर्यावरण को दूषित न कर सकें। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत समय-समय पर नोटिस भी जारी किये गये हैं तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जा चुकी है किन्तु उक्त निरीक्षण आख्या के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में फैलने से रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थल पर आवश्यक उपाय/व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं करायी जा रही हैं, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

.....2

-2-

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण आख्यानानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के चौड़ीकरण के निर्माण कार्य के समय धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाईडलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल के अनुसार स्थल पर तत्काल आवश्यक उपाय/व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

(अनिल कुमार)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. सांचेव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

१८

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 215/T.2(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 27/12/2018

मुख्य चिकित्साधिकारी,
आगरा।

विषय- जनपद आगरा में चिकित्सीय संस्थानों द्वारा बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण नहीं किये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने विषयक।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनिनयन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि जनपद आगरा संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है तथा समस्त विभागों का यह उत्तरदायित्व है कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में कोई भी प्रदूषणकारी गतिविधियों न होने पायें। इसके साथ ही प्रदूषण को रोकने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो अधिसूचनायें/शासनादेश आदि जारी किये गये हैं, उनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

यह कि दिनांक 06.12.18 को आहूत "ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण" की 45वीं बैठक में यह संज्ञान में आया कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में स्थित चिकित्सीय संस्थानों द्वारा बायो-मेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण नहीं किया जा रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा अवगत कराया गया है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु उनके द्वारा माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर, 2018 में कुल 23 चिकित्सीय संस्थानों को नोटिस जारी किये गये हैं। क्षेत्रीय अधिकारी के अनुसार यद्यपि कतिपय चिकित्सीय संस्थानों द्वारा अपने संस्थानों में व्यवस्थायें पूर्ण कर ली गयी हैं लेकिन सभी चिकित्सीय संस्थानों से शत-प्रतिशत व्यवस्थायें पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। उक्त नोटिसों की प्रतिलिपियाँ आपको भी पृष्ठांकित की गयी हैं। प्रतीत होता है कि जनपद आगरा में स्थित समस्त चिकित्सीय संस्थानों द्वारा बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के प्राविधानों के अनुसार बायो-मेडिकल वेस्ट का निस्तारण सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में स्थित समस्त चिकित्सीय संस्थानों द्वारा बायो-मेडिकल वेस्ट को इधर-उधर अथवा नगर निगम के ढलावघरों में न फेंका जाये तथा चिकित्सीय संस्थानों से बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के प्राविधानों के अनुसार बायो मेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये तथा इसका सतत अनुश्रवण किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जे०ड०प्र०, आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जे०ड०प्र०, आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 262 /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 06 / 11 / 2017

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, आगरा।

विषय—जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट के जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निगमन।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (नियंत्रण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा नगर में कूड़ा जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि प्रायः देखने में आया है कि छावनी क्षेत्र में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

विदित हो कि नगरीय ठोस अपशिष्ट को जलाये जाने से रोकने का पूर्णतः उत्तरदायित्व छावनी परिषद का है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा स्थित छावनी परिषद क्षेत्र में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट व कण्डा/उपला न जलने पाये, पॉलीथिन का प्रयोग न हो तथा छावनी परिषद द्वारा क्षेत्र में ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही छावनी क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(क०शममोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 94/TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 05/03/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
छावनी परिषद, आगरा।


विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।


आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

छावनी परिषद का यह उत्तरदायित्व है कि किसी भी दशा में छावनी क्षेत्र में कोई कूड़ा न जलाये, कण्डा/उपला, टायर/चमड़े की कतरनें न जलाये, पॉलीथिन का प्रयोग न करे, ड्रेन/सीवेज की साफ-सफाई नियमित रूप से हो लेकिन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के दि० 01.02.2018 के संस्करण में शहर में एम०जी०रोड पर जूते की कतरन जलाये जाने का फोटोयुक्त समाचार प्रकाशित हुआ है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा के छावनी क्षेत्र में किसी भी स्थल पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, क्षेत्र में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। साथ ही छावनी क्षेत्रान्तर्गत स्थित प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।


(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।



कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 151/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 13/04/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
छावनी परिषद, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता वनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

ज्ञात हुआ है कि छावनी परिषद क्षेत्र में छावनी परिषद द्वारा वाहनों की पार्किंग हेतु किसी ठेकेदार को ठेका दिया गया है। पार्किंग स्थल पर टाइल्स न लगी होने के कारण धूल के कण वायुमण्डल में फैल रहे हैं, जिसके कारण पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि हो रही है, जो कि अत्यन्त खेदजनक है जबकि छावनी परिषद का यह उत्तरदायित्व है कि छावनी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रदूषणकारी गतिविधियाँ संचालित न हों।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा के छावनी क्षेत्र में छावनी परिषद द्वारा जिस स्थल का पार्किंग ठेका दिया गया है, उस स्थल को तीन माह के अन्दर घास या इण्टरलॉकिंग टाइल्स से कवर करें ताकि धूल के कण वायुमण्डल में न फैल सकें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(के०रामभाहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: २२२/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: १५/०५/२०१८

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
छावनी परिषद, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा-५ के अन्तर्गत जनपद आगरा स्थित छावनी क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० १३३८१/१९८४ (एम०सी० गेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा छावनी परिषद क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश समय-समय पर छावनी परिषद को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० १९९/२०१४ (अलगित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक २२.१२.२०१६ को कूड़ा जलाये जाने पर रु० ५,०००/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रु० २५,०००/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से प्रायः देखने में आया है कि छावनी क्षेत्र में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट, चमड़े की कतरनें, कण्डा, टायर, आदि जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा-५ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत शहर के छावनी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ की धारा-१९ के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०राममोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 228/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 14/05/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
छावनी परिषद, मथुरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद मथुरा स्थित छावनी क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाये जाने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु निर्देश।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/ उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश समय-समय पर सम्बन्धित नगर निगम/नगर पालिका परिषद/छावनी परिषद को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रु० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रु० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्ध दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि समाचार पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से प्रायः देखने में आया है कि छावनी क्षेत्र में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट, चमड़े की कतरने, कण्डा, टायर, आदि जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है तथा मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत शहर के छावनी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट, कण्डा/उपला, टायर तथा चमड़े की कतरनें न जलने पाये, शहर में पॉलीथिन का प्रयोग न हो, नगर में ड्रेन/सीवेज, आदि की साफ-सफाई नियमित रूप से की जाये। यमुना नदी के किनारे कूड़ा न डाला जाये। साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०राममोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष

टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 264 /TTZ(PMU)/ Notice-5 / 18

दिनांक: 29 /05/2018

महाप्रबन्धक,
यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई,
उ०प० जल निगम, आगरा।

विषय-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में यमुना में सीधे गिर रहे 60 से अधिक नालों के सम्बन्ध में।

अवगत होंगे कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अक्षरशः अनुपालन के दृष्टिगत सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं विशेषकर आगरा में किसी भी प्रकार की प्रदूषणकारी गतिविधियाँ अनुमन्य नहीं हैं। ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण के लिए टी०टी०जैड० प्राधिकरण की समय-समय पर आहूत बैठकों यथावश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं किन्तु दिनांक 24.04.2018 को दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' में 'यमुना में सीधे गिर रहे 60 से अधिक नाले' नाम से प्रकाशित न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि जल निगम द्वारा यमुना में सीधे गिर रहे नालों को रोकने के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

ज्ञातव्य है कि रिट याचिका सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) के अन्तर्गत मा०उच्चतम न्यायालय में दिनांक 09.05.2018 को सुनवाई के समय मा०न्यायालय द्वारा ताजमहल के समीप यमुना एवं उसके आसपास व्याप्त गंदगी के फोटोग्राफ्स का संज्ञान लेते हुये घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। साथ यमुना में सीधे गिरने वाले नालों पर भी गंभीर आपत्ति व्यक्त की गयी है। इसी क्रम में दिनांक 23.05.2018 को महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा आहूत बैठक में भी यमुना में सीधे गिर रहे नालों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये समस्त नालों को शीघ्रतिशीघ्र टैप करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि यमुना में सीधे गिर रहे समस्त नालों को टैप करने के सम्बन्ध में जल निगम द्वारा जो परियोजना प्रस्तावित की गयी है, उसको सक्षम स्तर से शीघ्रतिशीघ्र स्वीकृत कराकर योजना का कार्यान्वयन कराये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

(के०रामगोहन राव)

मण्डलायुक्त, आगरा एवं
अध्यक्ष, टी०टी०जैड०प्राधिकरण,
आगरा।

कार्यालय टी०टी०जैड० प्राधिकरण, आगरा।

सं० : ११ / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 20

दिनांक : 19 / 03 / 2020

- 1-नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
- 2-मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०जल निगम, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जनपद आगरा में नगर निगम, आगरा एवं उ०प्र० जल निगम, आगरा के विरुद्ध प्रदूषित घरेलू उत्प्रावह का निस्तारण यमुना नदी में किये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

आप अवगत ही है कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 मई, 1999 द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न न्यायपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में आयुक्त, आगरा नखल को नामित किया गया है एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 एवं 19 के प्रयोग की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

यह कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अन्तर्गत नियम-3 में सतही जल में जल निस्तारण के मानक निर्धारित किये गये हैं।

यह कि नगर निगम आगरा क्षेत्र में कुल 90 नालों में से 29 टैंड हैं एवं शेष 61 बिना टैंप किये गये नालों के द्वारा अनवरत रूप से अशुद्धिकृत उत्प्रावह यमुना नदी में निस्तारण किया जा रहा है, जिसका स्तरदायित्व नगर निगम का है। ड्रेनेज, सीवेज ट्रीटमेन्ट एवं एस०टी०पी० से सम्बन्धित कार्यवाही जल निगम की कार्यवाही संस्था उ०प्र० जल निगम यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई (YAP) के द्वारा की जाती है। अतः जिम्मेदारी उ०प्र० जल निगम की है।

यह कि पूर्व में मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद ओ०ए०-306/2016 में दिनांक 12.10.2018 को पारित आदेश के अनुक्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोरी के प्रतिनिधि एवं पिलधिकारी, आगरा की गठित संयुक्त समिति द्वारा मा०अधिकरण में दिनांक 12.12.2018 को प्रस्तुत आख्यानुसार नगर निगम, आगरा क्षेत्र में 216 MLD दूषित उत्प्रावह यमुना नदी में निस्तारित हो रहा है।

यह कि जनपद में विद्यमान कुल 90 नालों में से 29 नाले टैंड हैं जबकि 61 नाले अनटैंड हैं। वर्तमान समय में किये गये विभिन्न निरीक्षणों में पाया गया है कि पूर्व में टैंप किये गये नाले सीवेज पम्पिंग स्टेशनों के अडिपरील होने के कारण वर्तमान में ओवरफ्लो हो रहे हैं एवं टैंपिंग आंशिक रूप से ही हो रही है।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 11.12.2019 के क्रम में याचिकाकर्ता श्री एम०सी० मेहता द्वारा दिनांक 06 एवं 07 जनवरी, 2020 को जनपद आगरा का भ्रमण किया गया एवं उनके द्वारा अनटैंड नालों एवं अक्रियारील एस०पी०एस० के कारण यमुना नदी में गिर रहे दूषित उत्प्रावह पर रोप बन्धन किया गया है।

यह कि दिनांक 18.02.2020 को मा०मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के आगरा आगमन के दौरान इंस्टैंट गेट नाले से बंदू आने के दृष्टिगत नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा दिनांक 19.02.2020 को कम्पनी गठित कर स्थलीय जांच आख्या अपने पत्र संख्या-160/डी/एनएन/20 दिनांक 19.02.2020 के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी प्रति मुख्य अभियन्ता, जल निगम को पृष्ठांकित की गयी है, जिसके अनुसार एस०पी०एस० एवं एस०टी०पी० के संचालन एवं रखरखाव का कार्य 01 माह पूर्व उ०प्र० जल निगम द्वारा एस०पी०एस० व बाग लि० कम्पनी को दिया गया है और इनका निरन्तर अनुश्रवण करने का कार्य उ०प्र० जल निगम एवं उनकी यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई का है। एस०पी०एस० व बाग लि० द्वारा एस०पी०एस० का संचालन ठीक प्रकार से न कर उसमें लापरवाही बरती जा रही है और उ०प्र० जल निगम द्वारा अनुश्रवण ठीक प्रकार से न करने के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है।

.....2

(2)

यह कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओरिजिनल एप्लीकेशन सं0-673/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2019 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 तक शत-प्रतिशत सीवेज शुद्धिकरण (atleast to the extent of in-situ remediation) किया जाना है, तथा समस्त नालों को कनेक्ट किया जाना है। साथ ही दिनांक 31 मार्च, 2020 तक एस0टी0पी0 का कार्य प्रारम्भ न किये जाने एवं नालों को कनेक्ट न किये जाने की दशा में रू0 5.00 लाख प्रति एस0टी0पी0 एवं रू0 5.00 लाख प्रतिमाह प्रति ड्रेन पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अग्रेतर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य पूर्ण न किये जाने पर उल्लंघन की दशा में रू0 10.00 लाख प्रति एस0टी0पी0 प्रतिमाह पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि यमुना नदी की जल गुणवत्ता बनाये रखने हेतु जनपद आगरा में बिना टैपिंग के नदी में सीधे प्रवाहित हो रहे नालों में दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व बायोरेमेडिएशन/फाइटोरेमिडिएशन सुनिश्चित की जाये। नालों की पूर्ण टैपिंग सुनिश्चित करते हुये एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत जल को औद्योगिक प्रयोजनों, हार्टीकल्चर, फलशिंग आदि में पुनः प्रयोग किया जाये। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही सं अवगत कराया जाये। अनुपालन आख्या/संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मा0न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही की जाएगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय

(अनिल कुमार)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी0टी0जैड0प्रा0,आगरा।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आगरा।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी0टी0जैड0प्रा0,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 206 /ITZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 19

दिनांक: 25/05/2019

**अधीक्षण अभियंता,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,
आगरा।**

विषय- सीवर लाइन बिछाये जाने के दौरान धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने हेतु स्थल पर पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित न किये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निर्गमन।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन किया जाना अत्यावश्यक है।

यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.05.2019 को आवास एवं विकास परिषद् के खण्ड सं०-28 द्वारा बैनारा फ़ैक्ट्री के सामने से बोदला मार्ग की तरफ बिछायी जा रही सीवर लाईन कार्य का संयुक्त निरीक्षण किया गया। फोटोयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार पाया गया कि मौके पर सीवर लाइन की अवशेष मिट्टी को स्थल से हटवाया नहीं गया है तथा मिट्टी को वहीं स्थल पर ही यथास्थिति में छोड़ दिया गया है। साथ ही स्थल पर धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने हेतु पानी का छिड़काव आदि भी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वाहनों के आवागमन से मिट्टी के कण वायुमण्डल में उड़कर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाईडलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल के अनुसार आप द्वारा स्थल पर आवश्यक उपाय/व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं करायी जा रही हैं, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि सीवर लाईन बिछाते समय धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाईडलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल के अनुसार स्थल पर तत्काल आवश्यक उपाय/व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें। साथ ही स्थल पर पड़ी हुई अवशेष मिट्टी को तत्काल स्थल से हटवाते हुये मार्ग को व्यवस्थित करायें ताकि वाहनों के आवागमन से मिट्टी के कण उड़कर वायुमण्डल को प्रदूषित न कर सकें। उक्त के सम्बन्ध में अपनी सुरपष्ट आख्या एक सप्ताह के अन्दर टी०टी०जैड० प्राधिकरण कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

(अनिल कुमार)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: २२७ /ITZ(PMU)/ Notice(Sec.5)/17

दिनांक: ०९ /11/2017

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
उ०प्र०राज्य सेतु निगम लि०,
आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा स्थित क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं विश्व धरोहर ताजमहल के संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रायः परिलक्षित हुआ है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र विशेषकर जनपद आगरा में उ०प्र० सेतु निगम लि० द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की जाती हैं, जिससे धूल के कण वायुमण्डल में फैल जाते हैं तथा पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि होती है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं विशेषकर जनपद आगरा नगर में उ०प्र० सेतु निगम लि० द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०राममोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।**प्रतिलिपि-**

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

१८

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 225 /TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/17

दिनांक: 09 /11/2017

परियोजना प्रबन्धक,
राजकीय निर्माण निगम लि०,
आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा स्थित क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं विश्व धरोहर ताजमहल के संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रायः परिलक्षित हुआ है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र विशेषकर जनपद आगरा में राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की जाती हैं, जिससे धूल के कण वायुमण्डल में फैल जाते हैं तथा पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि होती है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं विशेषकर जनपद आगरा नगर में राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में निर्माण/पुनर्निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०रा०मोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

dc

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 260 / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 06 / 11 / 2017

संभागीय परिवहन अधिकारी,
आगरा सम्भाग,
आगरा।

विषय-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में वाहन से जनित वायु प्रदूषण को रोकने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निगमन।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की बैठक में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद आगरा के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु टी०टी०जेड० क्षेत्र (आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद) में 15 वर्ष पुरानी वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। सभी छोटे डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों को सी०एन०जी० में कन्वर्ट कराने तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

यह कि श्री राम मोहन कपूर, चैयरमैन, मोटर स्पोर्ट्स क्लब, आगरा के द्वारा दिनांक 15.11.17 को शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह शिकायत की गयी है कि दो पहिया वाहनों (स्कूटर्स/मोटर साईकिल) को मोडिफाई कर पेट्रोल एवं अन्य ऑयल मिक्सर से व्यवसायिक उपयोग हेतु संचालित किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। श्री कपूर द्वारा अपने पत्र के साथ फोटोग्राफ भी संलग्न किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह (भदावर), पूर्व मंत्री, उ०प्र०सरकार द्वारा भी दिनांक 16.11.17 को शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा वाहनों से हो रहे प्रदूषण का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा वाहनों से जनित प्रदूषण को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

आपका यह पूर्ण उत्तरदायित्व है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद आगरा में वाहनों से वायु प्रदूषण उत्पन्न न हो तथा प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में किसी भी दशा में 15 वर्ष पुरानी वाहनों संचालन न हो तथा सभी छोटे डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों को सी०एन०जी० में कन्वर्ट कराया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जेड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 230/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 14/05/2018

संभागीय परिवहन अधिकारी,
आगरा सम्भाग, आगरा।

विषय-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में वाहन से जनित वायु प्रदूषण को रोकने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निर्गमन।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की बैठक में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद आगरा के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु टी0टी0जेड0 क्षेत्र (आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद) में 15 वर्ष पुरानी वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। सभी छोटे डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों को सी0एन0जी0 में कन्वर्ट कराने तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही शहर में जुगाड़ के रूप में संचालित वाहनों को पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दिये गये हैं।

आपका यह पूर्ण उत्तरदायित्व है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में वाहनों से वायु प्रदूषण उत्पन्न न हो तथा प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में किसी भी दशा में 15 वर्ष पुरानी वाहनों संचालन न हो तथा सभी छोटे डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों को सी0एन0जी0 में कन्वर्ट कराया जाये। साथ ही शहर में जुगाड़ के रूप में संचालित वाहनों को पूर्ण रूप से बंद किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(के०सममोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जेड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
4. उप-परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, आगरा।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जेड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 265 /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 29 / 05 / 2018

संभागीय परिवहन अधिकारी,
आगरा सम्भाग, आगरा।

विषय-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में वाहन से जनित वायु प्रदूषण को रोकने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निगमन।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की बैठक में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद आगरा के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु टी0टी0जेड0 क्षेत्र (आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद) में 15 वर्ष पुरानी वाहनों का री-रजिस्ट्रेशन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। सभी छोटे डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों को सी0एन0जी0 में कन्वर्ट कराने तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। साथ ही शहर में जुगाड़ के रूप में संचालित वाहनों को पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दिये गये हैं।

आपका यह पूर्ण उत्तरदायित्व है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में वाहनों से वायु प्रदूषण उत्पन्न न हो तथा प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों पर मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये लेकिन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के दिनांक 08.05.2018 के संस्करण में 'सिर्फ नोटिसों से रुक रहा प्रदूषण' नाम से प्रकाशित फोटोयुक्त समाचार के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा वाहनों से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में किसी भी दशा में 15 वर्ष पुरानी वाहनों संचालन न हो तथा सभी छोटे डीजल चालित व्यवसायिक वाहनों को सी0एन0जी0 में कन्वर्ट कराया जाये। साथ ही शहर में जुगाड़ के रूप में संचालित वाहनों को पूर्ण रूप से बंद किया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(के०रा०मोहेन राव)

मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
टी०टी०जेड०प्रा०, आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,

टी०टी०जेड०प्रा०, आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 228 /ITZ(PMU)/Notice(Sec.5)/17

दिनांक: 09 /11/2017

मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा में मार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं विश्व धरोहर ताजमहल के संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु टी०टी०जैड० प्राधिकरण की समय-समय पर आयोजित बैठकों में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

यह कि प्रायः परिलक्षित हुआ है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र विशेषकर जनपद आगरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की जाती हैं, जिससे धूल के कण वायुमण्डल में फैल जाते हैं तथा पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि होती है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा नगर में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित/विकसित किये जाने वाले मार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु वाध्य होना पड़ेगा।

(के०रामसोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 309/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/17

दिनांक: 31/12/2017

मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा स्थित फतेहाबाद मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की समय-समय पर आयोजित बैठकों में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

यह कि परिलक्षित हुआ है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा के फतेहाबाद मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान स्थल एवं उसके आसपास काफी मात्रा में धूल वायुमण्डल में उड़ रही है, जिसके कारण पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि हो रही है।

यह कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र विशेषकर जनपद आगरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नोटिस दिनांक 09.11.2017 जारी किया गया है किन्तु खेद है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के निर्माण के दौरान धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की जा रही हैं।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र जनपद आगरा में फतेहाबाद रोड के चौड़ीकरण निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर पर्याप्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(के०राममोहन राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 110/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 10/03/2018

मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा में मार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की समय-समय पर आयोजित बैठकों में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

यह कि प्रायः परिलक्षित हुआ है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र विशेषकर जनपद आगरा में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित नहीं की जाती हैं, जिससे धूल के कण वायुमण्डल में फैल जाते हैं तथा पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि होती है जबकि पूर्व में आपको पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस जारी करते हुये उक्त आशय के निर्देश दिये गये हैं।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र एवं जनपद आगरा नगर में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित/विकसित किये जाने वाले मार्गों के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(के०रामेश्वर राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 304 / ITZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 28 / 12 / 2017

1- अधीक्षण पुरातत्वविद्,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
आगरा सर्किल, आगरा।

2- प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत ताजमहल के समीपस्थ हेरिटेज कोरिडोर से उड़ने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए समुचित/व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की समय-समय पर आयोजित बैठकों में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

यह कि दैनिक समाचार पत्र "अगर उजाला" के दिनांक 16.11.2017 के संस्करण में 'हेरिटेज कोरिडोर की धूल ने बिगाड़ी ताज की हवा' के नाम से न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, जिसके अनुसार ताज हेरिटेज कोरिडोर स्थित धूल के कण वायुमण्डल में फैल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि हेरिटेज कोरिडोर ताजमहल के बिल्कुल नजदीक स्थित है।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ताज हेरिटेज कोरिडोर स्थल पर हरियाली विकसित की जानी है। स्थल पर हरियाली विकसित न किये जाने के कारण धूल के उड़ने वाले कणों से ताजमहल के आसपास प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है तथा पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में धूल को उड़ने से रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित ताज हेरिटेज कोरिडोर से उड़ने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर पर्याप्त आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. वन संरक्षक, वन विभाग, आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 2019/ITZ(PMU)/Notice(Sec.5)/19

दिनांक: 25/05/2019

पधानाचार्य,
सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज,
आगरा।

विषय- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निर्गमन।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा एस०एन० मेडिकल कॉलेज एवं हास्पीटल में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित न होने के सम्वन्ध में आपको प्रेषित पत्र सं० 311/एएस-1642/2019 दिनांक 08.05.2019, जिसकी प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

अवगत होंगे कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु मा०सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन किया जाना अत्यावश्यक है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा आपको प्रेषित उक्त संदर्भित पत्र के अवलोकन से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है जबकि मा०उच्चतम न्यायालय, मा०उच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पारित आदेशों के अनुपालन के दृष्टिगत जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सम्यक् पृथक्कीकरण एवं समुचित निस्तारण अत्यावश्यक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि एस०एन० मेडिकल कॉलेज एवं हास्पीटल में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 के प्राविधानों के अनुपालन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सम्यक् पृथक्कीकरण एवं समुचित निस्तारण प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा। उक्त के सम्वन्ध में अपनी सुस्पष्ट आख्या एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(अनिल कुमार)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,

टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. सदस्य-सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,

टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 127 / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 19

दिनांक: 19/03/2019

अभिहीत अधिकारी,
खाद्य सुरक्षा,
आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा।

विषय- जनपद जनपद आगरा में प्लास्टिक/पोलीथीन बैग के प्रयोग पर पूर्णतः रोक न लगाये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने विषयक।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग-1 द्वारा जारी अधिसूचना सं० 1420/79-वि-1-18-2(क)10/2018 दिनांक 15.07.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश-2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2018) प्रख्यापित किया है, जिसके अनुसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैंरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात तथा एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों ट्यूबलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध कर दिया गया है।

दिनांक 23.02.2019 को आहूत 'ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण' की 46वीं बैठक में प्लास्टिक/पोलीथीन बैग के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान यह प्रकाश में आया कि शहर में प्लास्टिक/पोलीथीन बैग का प्रयोग अभी भी किया जा रहा है तथा शासन द्वारा प्लास्टिक/पोलीथीन बैग के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने के बावजूद आपके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त बैठक के कार्यवृत्त का सम्बन्धित अंश निम्नवत् उद्धृत है-

"फूड एण्ड सेफ्टी विभाग द्वारा प्लास्टिक/पोलीथीन बैग के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने के सम्बन्ध में अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, इसलिए फूड एण्ड सेफ्टी विभाग के विरुद्ध धारा-5 का नोटिस जारी किया जाये।"

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 15.07.2018 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा नगर में प्लास्टिक/पोलीथीन बैग का प्रयोग किसी भी दशा में न होने दिया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

(अनिल कुमार)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जी०पी० आगरा।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जी०पी० आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 26) /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 06/12/2017

**उप-निदेशक,
कृषि, आगरा।**

विषय-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में वायु, जल एवं अन्य प्रकार के प्रदूषण को रोकने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निर्गमन।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।


यह कि टी०टी०जैड० प्राधिकरण द्वारा आगरा नगर में कृषि अपशिष्ट जलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश कृषि विभाग को प्रदान किये गये हैं।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 118/2013 (विक्रान्त कुमार तोंगड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 10.12.2015 को 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल में कृषि अपशिष्ट जलाये जाने पर ₹० 2,500/- प्रति घटना एवं 2 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल परन्तु 5 एकड़ से कम क्षेत्रफल में कृषि अपशिष्ट जलाये जाने पर ₹० 5,000/- प्रति घटना तथा 5 एकड़ क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल में कृषि अपशिष्ट जलाये जाने पर ₹० 15,000/- प्रति घटना पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि प्रायः देखने में आया है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में कतिपय स्थलों पर कृषकों द्वारा कृषि अपशिष्ट को जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है।

विदित हो कि कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने से रोकने का पूर्णतः उत्तरदायित्व कृषि विभाग का है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में कृषि अपशिष्ट न जलने पाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।


(के०राममोहन राव)
 मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
 टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 357 /ITZ(PMU)/Notice(Sec.5)/18

दिनांक: 17 /07/2018

- 1-उप-परिवहन आयुक्त, आगरा।
- 2-क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा।
- 3-क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, भरतपुर(राज०)।
- 4-संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।

विषय: सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में संचालित समस्त प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शत-प्रतिशत क्लिनर फ्यूल (सी०एन०जी०)में कन्वर्ट कराये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत ही हैं कि मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/ 1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के संरक्षण हेतु ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण की समय-समय पर आहूत बैठकों में भी महत्वपूर्ण निर्देश पारित किये गये हैं।

मा०सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र की वायु परिवेशीय गुणता के सुधार एवं पर्यावरणीय संरक्षण के दृष्टिकोण यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में समस्त प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लिनर फ्यूल (सी०एन०जी०) से संचालित हों।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र की वायु परिवेशीय गुणता के सुधार एवं पर्यावरणीय संरक्षण के दृष्टिकोण से सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में संचालित समस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शत-प्रतिशत क्लिनर फ्यूल (सी०एन०जी०) में कन्वर्ट कराये तथा यह सुनिश्चित करें कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में समस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्लिनर फ्यूल (सी०एन०जी०) से ही संचालित हों।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

९८

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, परिवहन, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

९८

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 39) /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 18

दिनांक: 17/07/2018

- 1- जिलाधिकारी, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़ (उ0प्र0) एवं भरतपुर, धौलपुर(राज0)।
- 2- पुलिस अधीक्षक, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा, अलीगढ़(उ0प्र0) एवं भरतपुर, धौलपुर(राज0)।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में कोयला/कोक/लकड़ी/उपला का उपयोग रोके जाने हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु निम्न आदेश जारी किये गये हैं-

"Those industries which neither apply for gas connections nor for alternative industrial plot shall stop functioning with the aid of coke/coal in the TTZ with effect from 30-4-1997. Supply of coke/coal to these industries shall be stopped forthwith. The District Magistrate and the Superintendent of Police shall have this order compiled with."

मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त लकड़ी/उपला आदि प्रदूषणकारी ईंधनों का प्रयोग भी ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में संचालित समस्त प्रकार की इकाइयों में प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि सम्पूर्ण ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में संचालित सभी प्रकार की वायु प्रदूषणकारी इकाइयों, आदि में कोयला/कोक/लकड़ी/उपला के प्रयोग पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध सुनिश्चित कराया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करारकर दिनांक 19.7.2018 की सायं तक अनुपालन आख्या टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को उपलब्ध करायें।

(क०रामगोविन्द राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,

टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

१८

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,

टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

१८

Recd
Advt
17/12/11

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 256 /ITZ(FMU)/Notice(Sec.5)/17

दिनांक: 06 /12/2017

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

विषय-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा में वायु, जल एवं अन्य प्रकार के प्रदूषण को रोकने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निर्गमन।

आप अवगत ही हैं कि आगरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर ₹० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर ₹० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि प्रायः देखने में आया है कि आगरा में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है तथा अन्य प्रदूषणकारी प्रकृति की गतिविधियाँ क्रियान्वित/संचालित की जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वायु/जल एवं अन्य प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है। प्रतीत होता है कि आपके द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह पूर्ण उत्तरदायित्व है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद आगरा में वायु/जल एवं अन्य प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न न हो तथा प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों पर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों की सुरंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा क्षेत्रों का आप द्वारा नियमित रूप से प्रातःकाल भ्रमण किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट व कण्ड/उपला न जलने पाये, पॉलीथिन का प्रयोग न हो तथा जनसामान्य द्वारा अन्य किसी प्रकार का प्रदूषण न फैलाया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(के०रा०मोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 257 / TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 06 / 11 / 2017

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

विषय-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद मथुरा में वायु, जल एवं अन्य प्रकार के प्रदूषण को रोकने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निगमन।

आप अवगत ही हैं कि मथुरा संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि प्रायः देखने में आया है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद मथुरा में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है तथा अन्य प्रदूषणकारी प्रकृति की गतिविधियाँ क्रियान्वित/संचालित की जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वायु/जल एवं अन्य प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है। प्रतीत होता है कि आपके द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह पूर्ण उत्तरदायित्व है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद मथुरा में वायु/जल एवं अन्य प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न न हो तथा प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों पर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद मथुरा क्षेत्र का आप द्वारा नियमित रूप से प्रातःकाल भ्रमण किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट व कण्डा/उपला न जलने पाये, पॉलीथिन का प्रयोग न हो तथा जनसामान्य द्वारा अन्य किसी प्रकार का प्रदूषण न फैलाया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(के०रामगोविंद राव)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 258 /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 06 / 12 / 2017

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
फिरोजाबाद।

विषय-ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद में वायु, जल एवं अन्य प्रकार के प्रदूषण को रोकने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निगमन।

आप अवगत ही हैं कि फिरोजाबाद संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा०सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं० 199/2014 (अलमित्रा एच०पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू० 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू० 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि प्रायः देखने में आया है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद फिरोजाबाद में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है तथा अन्य प्रदूषणकारी प्रकृति की गतिविधियाँ क्रियान्वित/संचालित की जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वायु/जल एवं अन्य प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मा०सर्वोच्च न्यायालय एवं मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है। प्रतीत होता है कि आपके द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का यह पूर्ण उत्तरदायित्व है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद फिरोजाबाद में वायु/जल एवं अन्य प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न न हो तथा प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों पर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र का आप द्वारा नियमित रूप से प्रातःकाल भ्रमण किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट व कण्डा/उपला न जलने पाये, पॉलीथिन का प्रयोग न हो तथा जनसामान्य द्वारा अन्य किसी प्रकार का प्रदूषण न फैलाया जाये अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत कराया जाये।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 259 / T2(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 06 / 12 / 2017

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भरतपुर (राज0)।

विषय—ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद भरतपुर (राज0) में वायु, जल एवं अन्य प्रकार के प्रदूषण को रोकने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निगमन।

आप अवगत ही हैं कि जनपद भरतपुर (राज0) संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं0 13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद सं0 199/2016 (अलमित्रा एच0पटेल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 22.12.2016 को कूड़ा जलाये जाने पर रू0 5,000/- एवं बल्क वेस्ट बर्निंग पाये जाने पर रू0 25,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थ दण्ड वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

यह कि प्रायः देखने में आया है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत स्थित जनपद भरतपुर (राज0) में कतिपय स्थलों पर आम जनमानस द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाया जाता है तथा स्टोन क्रशर पर धूल रोकने के समुचित उपाय नहीं अपनाये जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वायु/जल एवं अन्य प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे मा0सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना हो रही है। प्रतीत होता है कि आपके द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा रही है।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का यह पूर्ण उत्तरदायित्व है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद भरतपुर (राज0) में वायु/जल एवं अन्य प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न न हो तथा प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों पर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद भरतपुर (राज0) क्षेत्र का आप द्वारा नियमित रूप से प्रातःकाल भ्रमण किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में नगरीय ठोस अपशिष्ट व कण्डा/उपला न जलने पाये, पॉलीथिन का प्रयोग न हो तथा जनसामान्य द्वारा अन्य किसी प्रकार का प्रदूषण न फैलाया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि स्टोन क्रशर के संचालन से किसी भी प्रकार का वायु/जल प्रदूषण उत्पन्न न हो अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से अवगत करवाया जाये।

(के०राममोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०, आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 309 /TTZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 17

दिनांक: 31 /12/2017

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भरतपुर (राज0)।

विषय- ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद भरतपुर (राज0) में स्थापित/संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों से जनित प्रदूषण को रोकने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निर्गमन।

आप अवगत ही हैं कि जनपद भरतपुर (राज0) संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ताज महल के संरक्षण के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (नियंत्रण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। साथ ही मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट चाचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश प्रारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्गसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि दिनांक 20.09.2017 को सम्पन्न टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की 38वीं बैठक के निर्णयानुक्रम में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की ओर से सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा दिनांक 04.12.2017 को भरतपुर (राजस्थान) में स्थापित/संचालित 50 स्टोन क्रशर इकाइयों में से 29 इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसने से निरीक्षण के समय 07 इकाइयों बन्द पायीं गयीं। टीम द्वारा 14 इकाइयों का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 05.12.2017 को सम्पन्न टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की 39वीं बैठक में संयुक्त निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार समस्त 14 इकाइयों द्वारा डस्ट पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की गयी हैं।

यह कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का यह पूर्ण उत्तरदायित्व है कि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद भरतपुर (राज0) में स्थापित/संचालित स्टोन क्रशर इकाइयों से किसी प्रकार का वायु/जल एवं अन्य प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न न हो किन्तु खेद है कि स्टोन क्रशर इकाइयों द्वारा डस्ट पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की गयी हैं जबकि ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद भरतपुर (राज0) में वायु/जल एवं अन्य प्रकार के प्रदूषण को रोकने तथा प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों पर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित न किये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर (राज0) को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नोटिस दिनांक 05.12.2017 भी जारी किया गया है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 04.12.17 (छायाप्रति संलग्न) में समिति द्वारा की गयी संस्तुति/निर्देशों के अक्षरशः अनुपालन के दृष्टिगत ताज ट्रेपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद भरतपुर (राज0) में स्थापित/संचालित समस्त स्टोन क्रशर इकाइयों में डस्ट पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के प्रयोग हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये 15 दिन में फोटोयुक्त कृत अनुपालनात्मक कार्यवाही से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को अवगत कराया जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

(के०रामगोहन राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ(उ0प्र0)।
2. सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राज0)।
3. जिलाधिकारी, भरतपुर (राज0)।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 264 /TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/17

दिनांक: 06 /12/2017

मै0आर0पी0इन्फ्रावेंचर प्रा0लि0,
ब्लॉक-ए, बुलन्द सिटी,
अपोजिट रमादा पैलेस,
फतेहाबाद रोड, आगरा।

विषय- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद आगरा स्थित इनर रिंग रोड के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए की जाने वाली व्यवस्था हेतु निर्देश।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया थ अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन सर्वसम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाना आवश्यक है।

यह कि देखा गया है कि ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद आगरा में आप द्वारा निर्मित किये जा रहे इनर रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत होटल रमादा के निकट रोड निर्माण के दौरान काफी मात्रा में धूल उड़ रही है, जिसके कारण पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वारा धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं की गयी हैं।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि इनर रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत होटल रमादा के पास निर्मित किये जा रहे रोड के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाली धूल के कणों को वायुमण्डल में रोकने के लिए स्थल पर आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(के०राममोहस राव)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी०टी०जैड०प्रा०,आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 203 /ITZ(PMU) / Notice(Sec.5) / 19

दिनांक: 25/05/2019

श्री मुकेश चन्द,
मै0प्राची इन्फ्रा स्टेट प्रा0लि0,
प्लॉट नं0 बी-35, प्राची एन्वलेव
(प्राची पुलिस चौकी के समीप)
शास्त्रीपुरम्, आगरा।

विषय- निर्माण कार्य के दौरान धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने हेतु स्थल पर पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित न किये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निर्गमन।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन किया जाना अत्यावश्यक है।

यह कि टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.05.2019 को प्लॉट नं0 बी-35, प्राची एन्वलेव (प्राची पुलिस चौकी के समीप), शास्त्रीपुरम्, आगरा पर आप द्वारा प्राची टावर में निर्मित कराये गये 90 फ्लेटों के निर्माण का संयुक्त निरीक्षण किया गया। फोटोयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार पाया गया कि मौके पर भवन वेसमेन्ट तथा जी+8 मंजिल है। भवन निर्माण के समय स्थल को कवर नहीं किया गया है, जिसके कारण धूल के कण वायुमण्डल में उड़कर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। भवन निर्माण के दौरान धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गार्डिलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल के अनुसार आप द्वारा स्थल पर आवश्यक उपाय/व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं करायी जा रही हैं, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि भवन निर्माण कार्य के समय/दौरान धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गार्डिलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल के अनुसार स्थल पर तत्काल आवश्यक उपाय/व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये तथा उक्त के सम्बन्ध में अपना संतोषजनक उत्तर एक सप्ताह के अन्दर टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

(अनिल कुमार)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी0टी0जैड0, आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी0टी0जैड0, आगरा।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 204/TTZ(PMU)/Notice(Sec.5)/19

दिनांक: 25/05/2019

श्री सौरभ अग्रवाल,
मै0राजनन्दा हाउसिंग प्रा0लि0,
प्लॉट नं0 बी-1, सेक्टर-बी,
शास्त्रीपुरम्, आगरा।

विषय- निर्माण कार्य के दौरान धूल को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने हेतु स्थल पर पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित न किये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत नोटिस का निर्गमन।

यह कि मा0सर्वोच्च न्यायालय में संस्थित रिट याचिका (सिविल) सं० 13381/1984 (एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अन्तर्गत संवेदनशील ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार एवं संरक्षण हेतु समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण आदेश पारित किये गये हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन किया जाना अत्यावश्यक है।

यह कि टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.05.2019 को प्लॉट नं0 बी-1, सेक्टर-बी, शास्त्रीपुरम्, आगरा पर आप द्वारा निर्मित कराये जा रहे शॉपिंग काम्प्लैक्स का संयुक्त निरीक्षण किया गया। फोटोयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार पाया गया कि मीके पर भवन बेसमेन्ट तथा जी+5 मंजिल है। भवन निर्माण के समय स्थल को कवर नहीं किया गया है। भवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे-सरिया, ईट, मलवा, बालू आदि सड़क के किनारे डाल रखी हैं तथा मलवा व बालू पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण बालू/मिट्टी के कण वायुमण्डल में उड़कर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। भवन निर्माण के दौरान धूल को कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाईडलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल के अनुसार आप द्वारा स्थल पर आवश्यक उपाय/व्यवस्थायें सुनिश्चित नहीं करायी जा रही हैं, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपको निर्देशित किया जाता है कि भवन निर्माण कार्य के समय धूल के कणों को वायुमण्डल में उड़ने से रोकने के लिए कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाईडलाइन्स ऑन डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल के अनुसार स्थल पर तत्काल आवश्यक उपाय/व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये तथा उक्त के सम्बन्ध में अपना संतोषजनक उत्तर एक सप्ताह के अन्दर टी0टी0जैड0 प्राधिकरण कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-19 के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

(अनिल कुमार)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी0टी0जैड0 प्रा0, आगरा।

प्रतिलिपि-

1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र०शासन, लखनऊ।

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी0टी0जैड0 प्रा0, आगरा।

हों, उनके सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों को तत्काल पत्र निर्गत किये जायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उक्त बिन्दु को विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-सम्बन्धित विभाग/टी0टी0जैड0 प्राधिकरण)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

आगरा शहर के रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में-क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा शहर के विभिन्न रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता श्री रवि गांधी की शिकायतें कार्यालय में प्राप्त होती हैं। इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्गीकृत उद्योगों की सूची दिनांक 07.03.2016 में क्र0सं0-44 पर लाल श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं, जिसका जल प्रदूषण स्कोर 30 तथा हैजार्ड्स स्कोर 20 है। मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका सं0-34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 द्वारा आवासीय क्षेत्र में संचालित इकाइयों को बंद कराये जाने के आदेश के क्रम में मुख्य सांवेव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 सी0एस0-89(1)/9-आ-3-2003-62रिट/2003 दिनांक 10.11.2003 द्वारा संयुक्त आवास आयुक्त एवं उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, नियत प्राधिकारी समस्त विनियमित क्षेत्र, उ0प्र0 को मास्टर प्लान के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधि को रोकें जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-65/2019 में दिनांक 30.10.2019 को पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-एन0जी0टी0-613/81-7-2019-152 (रिट)/2016, दिनांक 28.11.2019 द्वारा आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाइयों को बंद कराने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को निर्देश जारी किये गये हैं।

मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 का सम्पन्न बैठक में निम्न निर्णय लिया गया है-

"प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरेंज कैटेगिरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाये। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेंज कैटेगिरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात् उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाये।"

उपरोक्त निर्णयों के क्रम में अध्यक्ष, उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्रांक-70/7/मु0 अमि0(वा0एवं ऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर टाईप हेतु प्राप्त अस्थायी विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थायी संयोजन निर्गत न किये जाने तथा प्राप्त स्थायी विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना स्थायी संयोजन निर्गत न किये जाने हेतु प्रबंध-निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल, आगरा को निर्देश जारी किध गये हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0), उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता श्री रवि गांधी द्वारा की गयी शिकायतों के क्रम में रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों को उनके कार्यालय स्तर से इस आशय के नोटिस जारी किये गये हैं कि इकाई की स्थापना औद्योगिक/अनुमन्य क्षेत्र में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निवेश मित्र के माध्यम से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करके ही किया जाना सुनिश्चित करें। 15 दिन में आवासीय क्षेत्र में इकाई का संचालन न करने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही/बंदी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उसके उत्तरदायी प्रतिनिधि/व्यक्ति का होगा, जिसकी प्रतिलिपि आगरा विकास प्राधिकरण एवं टोरण्ट पॉवर लि0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित की गयी है। तत्कम में शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण हेतु अनुबंधित टोरण्ट पॉवर लि0 एवं आगरा विकास

L. M. S.

[Signature]

प्राधिकरण को नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा द्वारा पत्र प्रेषित किये जाते हैं, जिसके क्रम में टोरण्ट पॉवर लि० एवं आगरा विकास प्राधिकरण से कार्यवाही अपेक्षित है। जिलाधिकारी, आगरा की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति की बैठक दिनांक 12.01.2021, 15.12.2021 तथा 30.03.2022 में भी शिकायतकर्ता श्री रवि गांधी द्वारा रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के सम्बन्ध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अध्यक्ष महोदय के द्वारा जांच किये जाने के सम्बन्ध में आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की अध्यक्षता में "ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण" का गठन किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी उद्योग, संक्रिया या प्रक्रिया को बन्द करने, उसका प्रतिषेध या विनियमन करने एवं विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा के प्रदाय को रोकने या विनियमन किया जाना निहित है।

तत्क्रम में विस्तृत चर्चा उपरान्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के संचालन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के स्थायी/अस्थायी विद्युत संयोजन दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा तत्काल विच्छेदित किये जायें तथा जल संस्थान द्वारा पानी के कनेक्शन विच्छेदित किये जायें। इसी प्रकार यदि इकाइयों में अवैध रूप से भूगर्भ जल का प्रयोग किया जा रहा है तो भूगर्भ जल विभाग के द्वारा अवैध समर्सिबल को जब्त कर बन्द कराया जाये। रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों की सूची उ०प्र०/नियो०/बो० द्वारा सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाये। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से टी०टी०जैड० प्राधिकरण को अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-आगरा विकास प्राधिकरण/प्रबंध-निदेशक, द०वि०वि०नि०लि०/टोरण्ट पॉवर लि०/जल संस्थान/
भूगर्भ जल विभाग/उ०प्र०/नियो०/बो०, आगरा)

अध्यक्ष, उ०प्र०पॉवर कॉर्पो०लि०, लखनऊ के द्वारा समस्त प्रबंध-निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ को प्रेषित पत्र दिनांक 02.11.2020 में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को सम्पन्न बैठक में मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुक्रम में उल्लिखित उपरोक्त निर्णयों के पश्चात् टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किये रेड एवं ऑरिन्ज केटेगिरी के कितने प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को अब तक विद्युत संयोजन प्रदान किये गये हैं, के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध करायी जाये। साथ ही उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इलैक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों एवं अन्य शिकायती प्रकरणों के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित इकाइयों के विरुद्ध विद्युत कनेक्शन विच्छेदन हेतु टोरण्ट पॉवर लि० को प्रेषित किये गये पत्रों के क्रम में टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा कितनी इकाइयों के विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन किया गया है, के सम्बन्ध में सूची उपलब्ध करायी जाये। टोरण्ट पॉवर लि० के सम्बन्धित अधिकारी टी०टी०जैड० प्राधिकरण की अगली बैठक में विद्युत कनेक्शन विच्छेदन की समस्त सूचनाओं सहित बुलाया जाये।

(कार्यवाही-टोरण्ट पॉवर लि०/टी०टी०जैड० प्राधिकरण)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

(अमित गुप्ता)

मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
टी.टी.जैड.प्राधिकरण, आगरा।

पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही की आख्या से टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की अगली बैठक में अवगत कराया जाये।

(कार्यवाही-नगर निगम/छावनी परिषद्)

3- जिला कलेक्टर, भरतपुर (राज0) के पत्र दिनांक 15.12.2023 द्वारा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठक से सम्बन्धित विभिन्न सूचनाओं के संकलन, पालना एवं निर्देशों की पालना करते हुये बैठकों से पूर्व सभी विभागों की समस्त सूचनार्यें उपलब्ध कराए जाने हेतु आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर (राज0) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, अतः आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर (राज0) द्वारा जनपद भरतपुर (राज0) के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्त सूचनार्यें संकलित रूप में टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को समय से उपलब्ध करायी जायें।

(कार्यवाही-आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर (राज0)/नोडल अधिकारी)

4- समस्त नगर निगम/नगर पालिका परिषदों द्वारा वांछित सूचनार्यें (डाटा) निर्धारित प्रारूप पर अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायी जायें।

(कार्यवाही-अपर आयुक्त (प्रशा0), आगरा मण्डल, आगरा)

मुख्य एजेण्डा बिन्दु सं0-06 (25.04.2022)

ताज ट्रैपेजियम क्षेत्रान्तर्गत जनपद-आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, हाथरस एवं भरतपुर (राज0) में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का समुचित निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में-एजेण्डा के अनुलग्नक-52 पर (निर्धारित प्रारूप पर) संलग्न संकलित सूचनाओं का अवलोकन किया गया। विस्तृत चर्चा उपरान्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये सर्वसम्मति से निर्देशित किया गया कि समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की गत बैठक के निर्णयों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में उक्त बिन्दु की नियमित समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 'जिला पर्यावरण समिति' द्वारा की जाये। इस प्रकरण को टी0टी0जैड0 प्राधिकरण की बैठक से विलोपित किया जाये। कोई विशेष परिस्थिति में ही उक्त प्रकरण को पुनः टी0टी0जैड0 प्राधिकरण के समक्ष 'जिला पर्यावरण समिति' द्वारा प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही-सम्बन्धित जिलाधिकारी)

अन्य बिन्दु, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-

आगरा शहर के रिहायशी क्षेत्रों में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में-बैठक में उपस्थित अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 20.07.2024 एवं 21.07.2024 को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा तथा टोरेंट पावर लि0, आगरा की संयुक्त टीम के साथ अवैध रूप से संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग 08 इकाइयों, जिनमें से 06 इकाइयों एत्माददौला क्षेत्र, 01 इकाई लोहामण्डी क्षेत्र एवं 01 इकाई शाहगंज क्षेत्र की है, के विरुद्ध विद्युत विच्छेदन एवं सीलिंग की कार्यवाही की गयी है।

बैठक में समीक्षा के दौरान पुनः यह संज्ञान में आया कि गत बैठक के निर्णयानुक्रम में प्रबन्ध-निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 तथा महाप्रबन्धक, जल संस्थान, आगरा द्वारा कोई सूचना/अनुपालन आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि-

1- गत बैठक के निर्णयानुसार द0वि0वि0नि0लि0/टोरेंट पावर लि0 द्वारा रिहायशी क्षेत्र में संचालित इलैक्ट्रोप्लेटिंग (इमीटेशन ज्वैलरी) इकाइयों एवं अन्य प्रदूषणकारी इकाइयों के विद्युत कनेक्शन तत्काल विच्छेदित किये जायें तथा सतत् निगरानी रखी जाये कि ऐसी इकाइयों रिहायशी क्षेत्र में पुनः संचालित न हों, जिसका अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा द्वारा साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाये, जिसकी मासिक अनुपालन आख्या (निर्धारित प्रारूप पर) टी0टी0जैड0 प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाये।

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या : 746/06-633/24

दिनांक : 25/10/2024

-कार्यालय-आदेश-

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक-1014/81-7-2021-09(रिट)/2016टी०सी० दिनांक 20.10.2021 द्वारा शीतकाल के दौरान (माह अक्टूबर से माह फरवरी तक) वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत प्रदेश के नॉन-अटेनमेन्ट शहरों में ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुपालन में समस्त कार्यदायी विभागों द्वारा शीतकाल ऋतु में वायु गुणता सूचकांक (AQI) के अनुसार वायु प्रदूषण का स्तर 48 घण्टे तक यथास्थिति होने पर एक्शन प्लान के अनुसार तत्काल कार्यवाही की जानी है। शासन द्वारा शासनादेश सं०-एन.जी.टी.-341/81-7-2022 दिनांक 26.09.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रभावी अनुपालन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं।

टी०टी०जैड० प्राधिकरण की 62वीं बैठक दिनांक 25.07.2024 में नॉन-अटेनमेन्ट शहरों के अन्तर्गत आच्छादित आगरा शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के दृष्टिगत वर्षभर ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू किए जाने के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये हैं।

अतः शीत ऋतु में सम्भावित बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम/नियंत्रण के दृष्टिगत प्रभावी रूप से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

क्र० सं०	अनुपालनीय कार्यवाही के बिन्दु	उत्तरदायी विभाग/संस्था
1-	1. नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट/गॉरबेज बर्निंग/वेस्ट लैडर कटिंग की बर्निंग आदि न होना सुनिश्चित किया जाना। 2. नगर निगम द्वारा आगरा शहर में खुले में निर्माण सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्री का भण्डारण विक्रेताओं द्वारा सड़क से 10 मी० की दूरी के उपरान्त ही किया जाये। 3. नगर निगम द्वारा आगरा शहर के मार्गों से रोड डस्ट को हटाया जाये, जिसका अनुश्रवण सम्बन्धित जोनल सेनेटरी ऑफिसर द्वारा सुनिश्चित किया जाये। 4. नगर निगम आगरा द्वारा आगरा शहर के मुख्य मार्गों की रोड डस्ट को मैकेनिकल स्वीपिंग द्वारा साफ कराया जाना सुनिश्चित किया जाना तथा अन्य छोटे मार्गों एवं गलियों में पानी का छिड़काव कर मैनुअल स्वीपिंग करायी जाये एवं एकत्रित रोड डस्ट/कूड़े को हाथों से उठाकर उसका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। 5. नगर निगम द्वारा आगरा शहर के मुख्य मार्गों पर एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से रात्रि में सड़कों की धुलाई सुनिश्चित कराया जाये।	आगरा नगर निगम
2-	6. मानकों से अधिक एयर क्वालिटी इण्डेक्स पाये जाने पर सम्बन्धित क्षेत्र में नगर निगम, आगरा द्वारा अग्निशमन विभाग के सहयोग से फायर बिग्रेड के माध्यम से भी वाटर स्पिंकलिंग कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।	आगरा नगर निगम/अग्निशमन विभाग
3-	7. नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित मार्गों के किनारे रोड डस्ट से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 15 दिन के अन्दर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	नगर निगम/आगरा विकास प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग/
4-	8. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा-फरीदाबाद खण्ड एवं आगरा-इटावा खण्ड द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत एन०एच०-19 की मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये तथा एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से रात्रि में धुलाई सुनिश्चित करायी जाये।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
5-	9. उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो०लि० द्वारा आगरा शहर में विकसित की जा रही आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माणाधीन समस्त कार्यस्थलों पर सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 एवं सी.पी.सी.बी.गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मेटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट-2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।	उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो० लि०
6-	10. आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इनर रिंग रोड की मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये तथा एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से रात्रि में इनर रिंग रोड की धुलाई सुनिश्चित करायी जाये।	आगरा विकास प्राधिकरण

	11. आगरा विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत किये गये/किये जाने वाले मानचित्रों में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। साथ ही निर्माण स्थल पर सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी. सी.बी. गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट-2017 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।	आगरा विकास प्राधिकरण/ उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
7-	12. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण स्थल पर 24 घण्टे वाटर रिप्रिविलिंग सुनिश्चित करायी जाये, जिससे कि निर्माण स्थल पर किसी भी समय धूल न उड़े। साथ में सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट-2017 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये तथा निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये- (i) Construction material should be covered by a sheet made of either jute tarpaulin, plastic or any other effective material. (ii) Trucks/lorries should not be over loaded to avoid overflow of material (C&D wastes/construction material) during transportation. (iii) The unloading activities of construction material at site/off site to ensure the dispersal of dust borne particles are minimized by either location of dumpsite or using water sprinklers or covered by a sheet made of either jute, tarpaulin, plastic or any other effective material. (iv) All areas for storing C&D wastes / construction material to be demarcated and preferably barricaded particularly those materials that have potential to be dust borne. (v) Dry sweeping of work areas to be prohibited. (vi) Smooth movement of incoming & out going vehicles/ trucks.	समस्त कार्यदायी संस्था
8-	13. आगरा शहर के अन्दर मुख्य मार्गों एवं व्यवसायिक क्षेत्र के मार्गों में वाहनों के जाम की स्थिति एवं अतिक्रमण पर नियंत्रण किये जाने हेतु अपर पुलिस आयुक्त (यातायात) द्वारा नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाये एवं सतत् निगरानी/अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये। 14. अपर पुलिस आयुक्त (यातायात) द्वारा एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया जाये, जिसके द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में एयर क्वालिटी इण्डेक्स (ए०क्यू०आई०) अधिक होने पर यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। 15. आर०टी०ओ० एवं यातायात पुलिस द्वारा आगरा शहर में 15 वर्ष पुराने वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना। आगरा शहर में संचालित वाहनों का पी०यू०सी० सर्टिफिकेट चैक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 16. आगरा शहर के अन्दर निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों/भारी वाहनों को प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रवेश निषेध का अनुश्रवण पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाये। 17. आर०टी०ओ० द्वारा आगरा शहर में संचालित पी०यू०सी० सेन्टर्स का नियमित अनुश्रवण किया जाये।	अपर पुलिस आयुक्त (यातायात)/ आर०टी०ओ०
9-	18. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण किया जाये एवं अवैध वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का विद्युत/जल संयोजन जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के सहयोग से विच्छेदित कराया जाये। 19. औद्योगिक क्षेत्र में संचालित वायु प्रदूषणकारी उद्योगों पर उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतत् निगरानी की जाये। गैर अनुमन्य ईंधन का उपयोग पाये जाने पर उद्योग के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
10-	20. जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा कोल/कोक/लकड़ी/लैडर कटिंग का पेठा इकाईयों में प्रयोग न होने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। 21. शहर एवं आस-पास के क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट एवं ढाबों पर कोयले के स्थान पर गैस तन्दूर का उपयोग सुनिश्चित कराया जाये।	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नगर)

11-	22. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा आगरा में निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/ टोरण्ट पॉवर लि०
12-	23. नगर में संचालित ई-बस सेवा एवं परिवहन विभाग द्वारा संचालित बसें निर्धारित स्टॉपेज के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर न रोकी जायें।	परिवहन निगम/ आगरा-मथुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लि०

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने मोबाईल पर आगरा शहर के एयर क्वालिटी इण्डेक्स की मानीटरिंग हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप (Sameer App) को डाउनलोड किया जाये एवं उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक दशा में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिस क्षेत्र में एयर क्वालिटी इण्डेक्स में वृद्धि परिलक्षित हो, उस क्षेत्र में सम्बन्धित विभाग/संस्थाओं द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये। सम्बन्धित विभाग/संस्थाओं द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित कृत अनुपालनीय कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण, नियंत्रण बोर्ड, आगरा को उनके ई-मेल roagra@uppcb.in पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायी जायेगी। आगरा स्मार्ट सिटी लि० द्वारा हेल्प लाइन न०-0562-2551600 सुचारू रूप से संचालित किया जाये, जिस पर जनसामान्य द्वारा उपरोक्त कारणों से ए०क्यू०आई० में वृद्धि होने पर शिकायत दर्ज करायी जायेगी।



(रितु माहेश्वरी)
मण्डलायुक्त।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. पुलिस आयुक्त, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. प्रबन्ध-निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
8. अपर पुलिस आयुक्त (यातायात), आगरा।
9. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
10. परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्र०, आगरा/फरीदाबाद।
11. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम/आगरा-मथुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लि०, आगरा।
12. संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
13. उप आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, आगरा।
14. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
15. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
16. निदेशक, उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पो०लि०, आगरा।
17. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
18. प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, आगरा।
19. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा।
20. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, आगरा।
21. जिला सूचना अधिकारी, आगरा।
22. महाप्रबन्धक, टोरण्ट पॉवर लि०, आगरा।

मण्डलायुक्त।

882

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

1167/06-633/2022

दिनांक : 14 / 11 / 2022

कार्यालय-आदेश

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-एन.जी.टी.-341/81-7-2022 दिनांक 26.09.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रभावी अनुपालन हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) 01 अक्टूबर, 2022 से ए०क्यू०आई० का स्तर 200 से अधिक होने पर लागू है। शीत ऋतु में सम्भावित बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम/नियंत्रण के दृष्टिगत प्रभावी रूप से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय-आदेश सं०-1122/ओजी-633/22 दिनांक 02.11.2022 द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशों के सतत् अनुश्रवण हेतु क्षेत्रवार निम्नलिखित टीम का गठन किया जाता है-

क्र०	क्षेत्र का विवरण	अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी अपर नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित टीम	मोबाईल नम्बर
1-	सिकन्दरा, हरीपर्वत, न्यू आगरा, कमला नगर	अपर नगर मजिस्ट्रेट-1, आगरा। क्षेत्राधिकारी पुलिस, हरीपर्वत, आगरा। श्री महेन्द्र सिंह, जोनल सेनेटरी ऑफिसर, हरीपर्वत जोन, नगर निगम, आगरा। श्री वी०एन० सिंह, सहा०अभियंता, आ०वि०प्रा०, आगरा। श्री अमरेंद्र सिंह, वैज्ञानिक सहायक, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा। श्री पुष्पेन्द्र सिंह, मैन्टीनेंस इंजीनियर, डी०ए०टोल रोड प्रा०लि०, एन०एच०ए०आई०, आगरा-फरीदाबाद खण्ड। श्री शिवम साहू, अवर अभियंता, यू०पी०एम०आर०सी० (आगरा कॉलेज मेट्रो स्टेशन) श्री अमित सैनी, अवर अभियंता, यू०पी०एम०आर०सी० (आर.बी.एस. कॉलेज मेट्रो स्टेशन)	9454417662 9454401227 7017125621 9711993467 7839891795 6377446068 9044394036 8303694816
2-	छत्ता, एत्माददौला	अपर नगर मजिस्ट्रेट-2, आगरा। क्षेत्राधिकारी पुलिस, हरीपर्वत, आगरा। श्री इन्द्रजीत सिंह, जोनल सेनेटरी ऑफिसर, छत्ता जोन, नगर निगम, आगरा। श्री सतीश कुमार, सहा०अभियंता, आ०वि०प्रा०, आगरा। श्री सतीश पटेल, सहायक वैज्ञानिक सहायक, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा। श्री भावेश पटेल, प्रोजेक्ट मैनेजर, कन्सेशनायर-एन०एच०ए०आई०, आगरा-इटावा खण्ड।	9454417663 9454401227 7300740619 9456071734 7839891845 9428828504
3-	लोहामण्डी, शाहगंज, जगदीशपुरा	अपर नगर मजिस्ट्रेट-3, आगरा। क्षेत्राधिकारी पुलिस, लोहामण्डी, आगरा। श्री रामू सागर, जोनल सेनेटरी ऑफिसर, लोहामण्डी जोन, नगर निगम, आगरा। श्री के०के०सरावगी, सहा०अभियंता (लोहामण्डी), आ०वि०प्रा०, आगरा। श्री बृजेश कुमार, सहा०अभियंता (शाहगंज), आ०वि०प्रा०, आगरा। श्री विमलेश कुमार, वैज्ञानिक सहायक, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा। श्री जयेश शर्मा, सहा०अभियंता, यू०पी०एम०आर०सी० (राजा की मण्डी मेट्रो स्टेशन)	9454419019 9454401228 9198588071 9711305293 7060060055 7839891799 9999643262
4-	सदर, रकाबगंज, ताजगंज	अपर नगर मजिस्ट्रेट-4, आगरा। क्षेत्राधिकारी पुलिस, सदर, आगरा। श्री अमान शाहिद, जोनल सेनेटरी ऑफिसर, ताजगंज जोन, नगर निगम, आगरा। श्री अनुराग चौधरी, सहा०अभियंता, आ०वि०प्रा०, आगरा। श्री श्रवण कुमार, एल०ए०, उ०प्र०प्र०नि०बो०, आगरा। श्री अपूर्व जैन, सहायक अभियंता यू०पी०एम०आर०सी० (जामा मस्जिद स्टेशन) श्री मनवीर, अवर अभियंता यू०पी०एम०आर०सी० (आगरा फोर्ट स्टेशन) श्री राहुल सिंह, सहायक अभियंता, यू०पी०एम०आर०सी० (ताज महल स्टेशन) मोहम्मद शाहनवाज, सी.एस.एम., कास्टिंग यार्ड, बमरौली कटारा, यू०पी०एम०आर०सी० श्री सत्यनारायण मीणा, मेट्रो डिपो, यू०पी०एम०आर०सी०, फतेहाबाद रोड, आगरा।	9454419028 9454401230 9897205206 7055267267 7839891802 9045158170 9696101913 8810705910 9321138826 9799810021

.....2

ई की मण्डी, एमएम गेट	अपर नगर मजिस्ट्रेट-5, आगरा। क्षेत्राधिकारी पुलिस, कोतवाली, आगरा। श्री इन्द्रजीत सिंह, जोनल सेनेटरी ऑफिसर, छत्ता जोन, नगर निगम, आगरा। श्री सतीश कुमार, सहा0अभियंता, आ0वि0प्रा0, आगरा। श्री एस0डी0 सिंह, एम0ए0, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा।	9454419016 9454401226 7300740619 9456071734 7839891800
6- मण्डोला, कोतवाली	नगर मजिस्ट्रेट, आगरा। क्षेत्राधिकारी पुलिस, कोतवाली, आगरा। श्री इन्द्रजीत सिंह, जोनल सेनेटरी ऑफिसर, छत्ता जोन, नगर निगम, आगरा। श्री सतीश कुमार, सहा0अभियंता, आ0वि0प्रा0, आगरा। श्री सुनील कुमार, एम0ए0, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा।	9454417661 9454401226 7300740619 9456071734 8394898008
7- शहरी क्षेत्र (भोगीपुरा, धनौली, अरतौनी, लखनपुर, गैलाना, मुहम्मदपुर, ककरैठा, बाईपुर)	उप जिलाधिकारी (सदर) सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी, पुलिस, आगरा। सम्बन्धित जोनल सेनेटरी ऑफिसर, नगर निगम, आगरा। श्री सतीश कुमार, सहा0अभियंता, आ0वि0प्रा0, आगरा। श्री श्रवण कुमार, एल0ए0, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा।	9454419027 - - 9456071734 7839891802

आगरा शहर की एयर क्वालिटी इण्डेक्स मानीटरिंग हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित किये गये समीर एप (Sameer App) को उक्त समस्त अधिकारियों द्वारा मोबाईल पर डाउनलोड किया जायेगा। नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी (सदर) एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण/भ्रमण किया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर टीम के अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उक्त अधिकारियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों की जांच करने के लिये विभिन्न समयों पर, जिनमें देर रात्रि अथवा प्रातःकाल भी सम्मिलित है, भ्रमण किया जायेगा।

नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा शहर में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा संचालित निर्माण कार्यों में सी0 एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 एवं गाइडलाइन्स ऑफ इन्वायरनमेन्टल मैनेजमेन्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट का अनुपालन न पाये जाने की दशा में जिलाधिकारी, आगरा के संज्ञान में लाते हुये आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा (मो0नं0-7839891805) का सहयोग प्राप्त किया जाये। आगरा मेट्रो रेल परियोजनान्तर्गत स्थलीय निरीक्षण के समय आवश्यकता पड़ने पर श्री अरविन्द राय, परियोजना निदेशक, यू0पी0एम0आर0सी0लि0, आगरा के मो0नं0-8317093773 पर सम्पर्क किया जाये।

अधोस्ताक्षरी के सन्दर्भित कार्यालय-आदेश दिनांक 02.11.2022 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अनुश्रवण कर प्रत्येक दिन अपर जिलाधिकारी (नगर) को दैनिक आख्या प्रस्तुत की जायेगी, जिसके लिए अपर जिलाधिकारी (नगर) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। निरीक्षण की आख्या अपर जिलाधिकारी (नगर)/नोडल अधिकारी को प्रतिदिन उपलब्ध करायी जायेगी। जिलाधिकारी कम से कम एक बार साप्ताहिक बैठक करेंगे तथा आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगे।

(अमित गुप्ता)

मण्डलायुक्त।

१८

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. समस्त नगर मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी (सदर), आगरा।
7. पुलिस अधीक्षक (नगर), आगरा।
8. परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0ए0आई0, आगरा-फरीदाबाद एवं आगरा-इटावा खण्ड।
9. समस्त क्षेत्राधिकारी, पुलिस, आगरा।
10. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बो0, आगरा।
11. परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0एम0आर0सी0एल0, आगरा।
12. समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के कार्यालयध्यक्षों को सूचनार्थ द्वारा-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड, आगरा।

(अमित गुप्ता)

मण्डलायुक्त।

१८

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या : 1122 / 06 - 633 / 22

दिनांक : 02 / 11 / 2022

कार्यालय-आदेश

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-एन.जी.टी.-341/81-7-2022 दिनांक 28.09.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जिलों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रभावी अनुपालन हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) 01 अक्टूबर, 2022 से ए०क्यू०आई० का स्तर 200 से अधिक होने पर लागू है, जिसका अनुपालन विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाये। शीत ऋतु में सम्भावित बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम/नियंत्रण के दृष्टिगत प्रभावी रूप से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-


क्र० सं०	अनुपालनीय कार्यवाही के बिन्दु	उत्तरदायी विभाग
1-	1. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट/गॉरबेज बर्निंग/वेस्ट लेदर कटिंग की बर्निंग आदि न होना सुनिश्चित किया जाना। नगर निगम द्वारा लेदर कटिंग से संबंधित कूड़े का शत-प्रतिशत कलेक्शन व निस्तारण सुनिश्चित किया जाये जिससे लेदर कटिंग के जलाने की संभावना ही न रहे। 2. आगरा शहर में खुले में निर्माण सामग्री विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्री का भण्डारण विक्रेताओं द्वारा सड़क से 10 मी० की दूरी के उपरान्त ही किया जाये। 3. आगरा शहर के मार्गों से रोड डस्ट को हटाया जाये। 4. आगरा शहर के मुख्य मार्गों की रोड डस्ट को मैकेनिकल स्वीपिंग द्वारा साफ कराया जाना सुनिश्चित किया जाना तथा अन्य छोटे मार्गों एवं गलियों में पानी का छिड़काव कर मैनुअल स्वीपिंग करायी जाये एवं एकत्रित रोड डस्ट/कूड़े को झाडू से न हटाकर यथासंभव हाथों से उठाकर उसका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। 5. आगरा शहर के मुख्य मार्गों पर एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से सड़कों व पेड़ों की धुलाई सुनिश्चित कराया जाये।	आगरा नगर निगम
2-	6. नगर निगम, आगरा विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित मार्गों के किनारे रोड डस्ट से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 15 दिन के अन्दर तीन सबसे अधिक रोड डस्ट वाले मार्गों पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।	नगर निगम/ आगरा विकास प्राधिकरण/ लोक निर्माण विभाग/
3-	7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आगरा-फरीदाबाद खण्ड एवं आगरा-इटावा खण्ड द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत एन०एच०-19 की मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये तथा एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से रात्रि में सड़क व पेड़ों की धुलाई सुनिश्चित करायी जाये।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
4-	8. उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा आगरा शहर में विकसित की जा रही आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माणाधीन कार्यस्थलों जैसे-मेट्रो डिपो, कास्टिंग यार्ड, कट एण्ड कवर एरिया, रामलीला ग्राउण्ड, आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन, आगरा कॉलेज मेट्रो स्टेशन, राजा की मण्डी मेट्रो स्टेशन, आर.बी.एस. कॉलेज मेट्रो स्टेशन, मेडिकल कॉलेज मेट्रो स्टेशन, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन आदि पर सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 एवं सी.पी.सी. बी.गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी० एण्ड डी० वेस्ट-2017 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।	उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
5-	9. आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित इनर रिंग रोड की मैकेनिकल स्वीपिंग नियमित रूप से सुनिश्चित करायी जाये तथा एस०टी०पी० के शुद्धिकृत उत्प्रवाह से रात्रि में इनर रिंग रोड की (रैलिंग सहित) धुलाई सुनिश्चित करायी जाये।	आगरा विकास प्राधिकरण
	10. आगरा विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत किये गये/किये जाने वाले मानचित्रों में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा विशेष रूप से मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ०ए० सं०-21/2014 (वर्धमान कौशिक बनाम यूनिन ऑफ इण्डिया व अन्य) में दिनांक 10.04.2015 को पारित आदेश में उल्लिखित निर्देशों जैसे-निर्माणाधीन भवन के चारों ओर तारपॉलीन लगाना, सड़क के किनारे निर्माण सामग्री एकत्रित न करना, धूल से बचाव के लिये छिड़काव/धुलाई आदि कराना, विण्ड ब्रेकिंग वॉल बनाना आदि का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। साथ ही निर्माण स्थल पर सी० एण्ड डी० वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिगेशन मेजर्स इन	

हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट-2017 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

6-	<p>11. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण स्थल पर इस प्रकार वाटर सिप्रिबिलिंग सुनिश्चित करायी जाये, जिससे कि निर्माण स्थल पर धूल मिट्टी सदैव गीली रहे तथा किसी भी समय धूल न उड़े। दिन में मात्र दो-तीन बार छिड़काव कराकर कार्य की इतिश्री न की जाये। साथ में सी0 एण्ड डी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं सी.पी.सी.बी. गाइडलाइन्स ऑन डस्ट मीटिगेशन मेजर्स इन हैण्डलिंग, कन्स्ट्रक्शन मैटेरियल एण्ड सी0 एण्ड डी0 वेस्ट-2017 के अनुपालन के साथ निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से अनुपालनीय कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये-</p> <p>(i) Construction material should be covered by a sheet made of either jute tarpaulin, plastic or any other effective material.</p> <p>(ii) Trucks/lorries should not be over loaded to avoid overflow of material (C&D wastes/construction material) during transportation.</p> <p>(iii) The unloading activities of construction material at site/off site to ensure the dispersal of dust borne particles are minimized by either location of dumpsite or using water sprinklers or covered by a sheet made of either jute, tarpaulin, plastic or any other effective material.</p> <p>(iv) All areas for storing C&D wastes / construction material to be demarcated and preferably barricaded particularly those materials that have potential to be dust borne.</p> <p>(v) Dry sweeping of work areas to be prohibited.</p> <p>(vi) Smooth movement of incoming & out going vehicles / trucks.</p> <p>(vii) Wind breaking walls around construction site.</p>	समस्त कार्यदायी संस्था
7-	<p>12. आगरा शहर के अन्दर मुख्य मार्गों एवं व्यवसायिक क्षेत्र के मार्गों में वाहनों के जाम की स्थिति एवं अतिक्रमण पर नियंत्रण किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण हटाया जाये एवं सतत् निगरानी/अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।</p> <p>13. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया जाये, जिसके द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र में एयर क्वालिटी इण्डेक्स (ए0क्यू0आई0) अधिक होने पर यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>14. आर0टी0ओ0 एवं यातायात पुलिस द्वारा आगरा शहर में 15 वर्ष पुराने वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना।</p> <p>15. आगरा शहर में संचालित वाहनों का पी0यू0सी0 सर्टिफिकेट चेक किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</p> <p>16. सभी निर्माण सामग्री एवं मलबे को पूर्णरूप से ढक कर ही ट्रक/वाहनों से परिवहन किया जाये जिससे कि निर्माण सामग्री का मलवा किसी भी रूप में वातावरण में विसरण न करे।</p> <p>17. निर्माण सामग्री एवं किसी भी प्रकार के मलबे को परिवहन करने वाले वाहनों को सामग्री उतारने के पश्चात पूर्ण रूप से साफ कर ही सड़क पर चलने की अनुमति दी जाये।</p> <p>18. आगरा शहर के अन्दर निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों/भारी वाहनों को प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रवेश निषेध का अनुश्रवण पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया जाये।</p> <p>19. आर0टी0ओ0 द्वारा आगरा शहर में संचालित पी0यू0सी0 सेन्टर्स का नियमित अनुश्रवण किया जाये।</p>	पुलिस अधीक्षक (यातायात)/ आर0टी0ओ0
8-	<p>20. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण किया जाये एवं अवैध वायु प्रदूषणकारी उद्योगों का विद्युत/जल संयोजन जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के सहयोग से विच्छेदित कराया जाये।</p> <p>21. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी बन्दी आदेशों का अनुपालन कराया जाये।</p> <p>22. औद्योगिक क्षेत्र में संचालित वायु प्रदूषणकारी उद्योगों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतत् निगरानी की जाये। गैर अनुमन्य ईंधन का उपयोग पाये जाने पर उद्योग के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही करते हुये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</p>	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
9-	23. जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (नगर) द्वारा कोल/कोक/लकड़ी/लैटर कटिंग का	जिलाधिकारी/

	पेठा इकाईयों में प्रयोग न होने के सम्बन्ध में कायदा सुनिश्चित करायी जाये। 24. शहर एवं आस-पास के क्षेत्र में संचालित रेस्टोरेन्ट एवं ढाबों पर कोयले के स्थान पर गैस तन्दूर का उपयोग सुनिश्चित कराया जाये। 25. रेजीडेन्ट वेलफयर एसोसियेशन द्वारा कालोनी के सुरक्षा कर्मियों को हीटर उपलब्ध कराया जाये। किसी भी दशा में शीलकाल में अलाव का प्रयोग न किया जाये।	अपर जिलाधिकारी (नगर)
10-	26. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं टोरण्ट पॉवर लि० द्वारा आगरा में निर्बाध विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/ टोरण्ट पॉवर लि०
11-	27. नगर में संचालित ई-बस सेवा एवं परिवहन विभाग द्वारा संचालित बसें निर्धारित स्टॉपेज के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर न रोकी जायें।	परिवहन निगम/ आगरा-मथुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने मोबाईल पर आगरा शहर के एयर क्वालिटी इण्डेक्स की मानीटरिंग हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप (Sameer App) को डाउनलोड किया जाये एवं उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक दशा में अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही जिस क्षेत्र में एयर क्वालिटी इण्डेक्स में वृद्धि परिलक्षित हो, उस क्षेत्र में सम्बन्धित विभागों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाये। अनुपालन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित कृत अनुपालनीय कार्यवाही की आख्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को उनके ई-मेल roagra@uppcb.in पर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में प्रत्येक सप्ताह उपलब्ध करायी जायेगी। आगरा स्मार्ट सिटी लि० द्वारा हेल्प लाइन नं०-0562-2551600 सुचारू रूप से संचालित किया जाये, जिस पर जनसामान्य द्वारा उपरोक्त कारणों से ए०क्यू०आई० में वृद्धि होने पर शिकायत दर्ज करायी जायेगी।


(अमित गुप्ता)
मण्डलायुक्त।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, आगरा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
4. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आगरा स्मार्ट सिटी लि०, आगरा।
7. पुलिस अधीक्षक (यातायात), आगरा।
8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम/आगरा-मथुरा सिटी रोड ट्रांसपोर्ट लि०, आगरा।
9. संभागीय परिवहन अधिकारी, आगरा।
10. उप आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, आगरा।
11. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम, आगरा।
12. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
13. प्रबन्ध-निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
14. परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्र०, आगरा/फरीदाबाद।
15. निदेशक, उ०प्र० मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि०, आगरा।
16. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि०, आगरा।
17. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
18. प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, आगरा।
19. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०नि०बो०, आगरा।
20. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, आगरा।
21. जिला सूचना अधिकारी, आगरा।
22. महाप्रबन्धक, टोरण्ट पॉवर लि०, आगरा।


(अमित गुप्ता)
मण्डलायुक्त।